असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 25 मार्च, 2022 ई॰
पंचम सत्र — 04 चैत्र, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : जी, पूछता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

(व्यवधान)

अभी बैठ जाइये ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये अभी । नहीं, यह उचित समय नहीं है अभी ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भा0क0पा0(माले), सी0पी0आई0 तथा ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

एक मिनट सुन लीजिए, माननीय सदस्य, जो सीनियर लोग हैं उनको बार-बार वेल में आकर अपने को हल्का मत करें । आप जाइये पहले अपने स्थान पर ।

(व्यवधान)

नहीं, बिना अनुमति के इस तरह से खड़ा होना, उठाना यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

नहीं, संरक्षण वेल में आकर संरक्षण किसी को नहीं मिलता है । आप जाइये पहले अपनी जगह पर ।

(व्यवधान जारी)

आप पहले अपने स्थान पर जाइये । नहीं, वेल में बार-बार आकर के आप प्रदर्शन करते हैं, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

अपने स्थान से, वेल में आकर के, जाइये अपने स्थान पर, जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर पहले जायं ।

(व्यवधान)

उसका समय है न, तय समय है । प्रश्न के माध्यम से, कार्य स्थगन के माध्यम से उसका समय तय है, जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जाइये, यह उचित नहीं है । आप क्या संदेश देना चाहते हैं, बार-बार वेल में उछल कर आ जाते हैं ?

(व्यवधान जारी)

नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं । जितना पुराना होता है उतना गंभीर होता है ।

(व्यवधान)

वेल में आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जायेगी, न प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा न आपको संरक्षण वेल में मिलेगा ।

(व्यवधान)

यहां खड़े रहने से होगा कुछ, जाइये अपने स्थान पर । अब जाइये हो गया न ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये, महबूब जी जाइये ।

(व्यवधान)

पहले स्थान पर जाइये । आपके कहने से तो नहीं कहेंगे, स्थान पर जाइये पहले आसन की बात को मानियेगा तब ।

(व्यवधान)

आसन किसी के दबाव में, सुन लीजिए बार-बार मैंने दोहराया है कि आसन सत्ता हो या विपक्ष किसी के दबाव में नहीं आएगा । कोई आसन को दबाव नहीं डाल सकता है, जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

आसन को जो उचित लगेगा वही काम करेगा, नियमानुसार वह अपना काम करता है । जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी का पूछा गया है । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

जाइये अपने स्थान पर ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण वेल से अपने-अपने स्थान पर चले गए)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-'क'-88 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या-187, मनेर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी ने कहा था कि सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में 212.50 करोड़ का है और उनका भी यह सही नहीं है । जैसा कि सी0ए0जी0 का जब हमलोगों ने अध्ययन किया तो 218.18 करोड़ है । अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रतिवेदित राशि है विपत्र की राशि है 14.61 करोड़, प्राप्त राशि है 14.40 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है 0.21 करोड़ और सी0ए0जी0 का विपत्र है महोदय, 2013-14 में 14.61 करोड़, प्राप्त राशि है 14.40 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है 0.21 करोड़, 2013-14 में कोई भिन्नता नहीं है । महोदय, 2014-15 का निगम का विपत्र की राशि है महोदय, 1808.32 करोड़, प्राप्त राशि है 1782.06 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है 26.26 करोड़, सी0ए0जी0 का है महोदय विपत्र की राशि 1808.32 करोड़, प्राप्त राशि है 1781.92 करोड़, योग्य राशि है 26.40 करोड़ । इसमें महोदय, भारत सरकार के द्वारा प्रचार-प्रसार के मद में राशि सरकार को दी गई 13 लाख 59 हजार की राशि प्राप्त राशि में जोड़ दी गई है इसीलिए थोड़ी भिन्नता है । महोदय, 2015-16 का निगम का विपत्र है, विपत्र की राशि है 3621.30 करोड़, प्राप्त राशि है 3566.62 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है 53.82 करोड़, सी0ए0जी0 का है महोदय विपत्र की राशि 2015-16 का 3621.30 करोड़, प्राप्त राशि है 3566.61 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है महोदय, 53.83 करोड़, निगम एवं सी0ए0जी0 द्वारा प्रतिवेदित प्राप्त राशि में अंतर का कारण महोदय है राउंडिंग ऑफ में है । वास्तविक प्राप्त राशि 3566 करोड़ 61 लाख 51 हजार 826 है । महोदय, 2016-17 का विपत्र की राशि है 2801.54 करोड़, प्राप्त राशि है महोदय, 2758.70 करोड़, महोदय, प्राप्ति योग्य राशि है 42.84 करोड़, 2016-17 का महोदय सी0ए0जी0 के विपत्र की राशि है 2801.54 करोड़, प्राप्त राशि है महोदय 2758.70 करोड़, महोदय इसमें प्राप्ति योग्य राशि है 42.84 करोड़, कोई भिन्नता नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, 2017-18 में महोदय विपत्र की राशि है 2940.02 करोड़, प्राप्त राशि है महोदय 2897.61 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है महोदय, 42.41 करोड़ । सी0ए0जी0 का मैं लेती हूं महोदय 2017-18 का तो विपत्र की राशि है 2940.02 करोड़, प्राप्त राशि है 2896.73 करोड़, प्राप्ति योग्य राशि है महोदय, 42.41 करोड़, कोई भिन्नता नहीं है किन्तु सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में प्राप्त राशि अशुद्ध अंकित की गई है ।

महोदय, मैं 2018-19 का लेती हूं । विपत्र की राशि है 2046.81 करोड़, प्राप्त राशि है महोदय 2001.74 करोड़, योग्य राशि है 45.07 करोड़, सी0ए0जी0 का मैं लेती हूं महोदय 2018-19 का विपत्र की राशि है 2013.56 करोड़, प्राप्त राशि है महोदय 1961.07 करोड़, योग्य राशि है महोदय 52.49 करोड़, सी0ए0जी0 द्वारा प्रतिवेदित राशि वार्षिक विपत्र हेतु निगम मुख्यालय के पत्रांक 9609 दिनांक 17.09.2019 के आधार पर अंकित की गई है जो महोदय परिशिष्ट-2 में है ।

(क्रमशः)

टर्न-2/सुरज/25.03.2022

...क्रमशः...

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : जबकि भारत सरकार द्वारा संधारित अन्य वितरण पोर्टल में प्रदर्शित आंकड़ों का मिलान कराते हुए उक्त वर्ष के लिये निगम के द्वारा पुनः पत्रांक-16698, दिनांक-16.11.2019 के 2046.81 करोड़ का विपत्र भेजा गया है । उक्त विपत्र के आधार पर निगम को भारत सरकार की स्वीकृति सं0-53/2019-20 दिनांक- 27.12.2019 द्वारा 2001.74 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है । तो महोदय 2018-19 में...

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के लिये कितना समय निर्धारित है यह हमलोग जानना चाहते हैं ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, विपत्र की राशि 2046.81 करोड़ है । प्राप्त राशि 2001.74 करोड़ है, प्राप्ति योग्य राशि 45.07 करोड़ है । सी0ए0जी0 का विपत्र की राशि 2013.56 करोड़ है, प्राप्त राशि 1961.07 करोड़ है । महोदय, प्राप्ति योग्य राशि 52.49 करोड़ है । जैसा कि पूर्व में प्रतिवेदित किया गया है कि केन्द्र सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण उक्त राशि नहीं रोकी गई है, बल्कि केन्द्र सरकार के परिपत्र दिनांक-03.11.2004 जो परिशिष्ट-5 में है महोदय उल्लेखित प्रावधान के आलोक में सांविधिक अंकेक्षण के लंबित रहने के कारण उक्त राशि अवरूद्ध है । सांविधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत अवरूद्ध राशि केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त कर दी जाती है । निगम में

लेखा अंकेक्षण की स्थिति पूर्व में स्पष्ट की गई है जिसके अनुसार लेखाओं की अद्यतन स्थिति निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2019-20 तक के वार्षिक लेखाओं को तैयार कर निगम निदेशक परिषद से अनुमोदित कराया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक लेखा करने की अंतिम प्रक्रिया में है । वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लेखाओं का सांविधिक अंकेक्षण एवं सी0ए0जी0 अंकेक्षण का कार्य किया गया है । वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं तत्संबंधी अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है । वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है । यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य लेखा के सांविधिक अंकेक्षण के अतिरिक्त 2021 में निगम के अनुरोध के आधार पर सी0ए0जी0 से अधिप्राप्ति वर्ष के लेखाओं के लिये अलग से सांविधिक अंकेक्षण हेतु अनुशंसा प्राप्त कर सांविधिक अंकेक्षण को नियुक्त किया गया है । यह अंकेक्षण मुख्य अंकेक्षण के अतिरिक्त है ताकि भारत सरकार से...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन से निर्देश हो कि माननीय मंत्री और प्रश्नकर्ता मिल लेंगे ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : यथाशीघ्र अवरूद्ध राशि प्राप्त की जा सके । यह भी उल्लेखनीय है कि निगम के लंबित अंकेक्षण का मामला महालेखाकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग तथा केन्द्र सरकार के पूर्व संज्ञान में है । ज्ञातव्य हो कि विगत डेढ़ वर्ष में एक कार्य योजना के तहत अभियान चलाकर लेखा तैयार किया गया है जिसका सांविधिक अंकेक्षण तथा सी0ए0जी0 का पूरक अंकेक्षण प्रगति पर है । अतः निगम का प्रयास है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में लंबित अंकेक्षण कार्य को पूर्ण करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा अवरूद्ध की गयी राशि प्राप्त कर ली जाय ।

महोदय, निगम का जो हमारा विभाग का है उसमें कहीं से इसमें गड़बड़ी नहीं है जो हमने पहले भी कहा था, अभी भी कहा वह सही है । सी0ए0जी0 के रिपोर्ट में त्रुटि है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, वह भ्रामक है और सदन को गुमराह करने वाला जवाब था और असत्य बोलने के लिये बहुत सी बातें बोलनी पड़ती हैं...

अध्यक्ष : नहीं गलत है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : गलत बोलने के लिये बहुत सी गलतियां बोली जाती हैं इसलिये लंबी फेहरिस्त लाई हैं चूंकि वे गलत हैं और हमारे पास प्रमाण है । मेरा मूल प्रश्न यही था कि मेरे मूल प्रश्न के ही वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराये जाने से राज्य सरकार को संसाधन से 212.50 करोड़ राशि का भुगतान करना पड़ा है तो दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई कर रही है हमारा मूल प्रश्न यही है ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो विस्तार से बताया है । मैं भिजवा देती हूं, कोई गड़बड़ी नहीं है । पूरे देश भर में...

(व्यवधान)

महोदय, ये जबरदस्ती कह रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हम आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं किये हैं, हम कभी जबरदस्ती आपके साथ नहीं किये हैं ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं । हमने कभी जबरदस्ती नहीं किया है । हम सही सवाल आपके सामने रखे हैं ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : सवाल ही आपका गलत है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं, ये सवाल ही सही है ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : आपका सवाल ही गलत है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : विभाग की गलती की वजह से राज्य सरकार को 48.09 करोड़ का जो ब्याज भरना पड़ा है क्या पदाधिकारियों से उस राशि की वसूली करती हैं कि नहीं करती हैं ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई वीरेन्द्र जी से हमलोग तो पुराने साथी हैं एक साथ रहे हैं समता पार्टी में । हमलोग तो 2002-03 का ऑडिट करा रहे हैं, यह तो पुराना मामला है तो समय लग रहा है । इसमें मैं भिजवा देती हूं...

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा मामला और विभाग का मामला है । यह राज्य के हित का मामला है कोई हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है । राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भारत सरकार को नहीं गया इसलिये 48.09 करोड़ का ब्याज भरना पड़ा तो दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे देश भर में जिस राज्य में ऑडिट नहीं होता है समय पर, उनका ऑडिट करा के जो पांच प्रतिशत राशि होल्ड किया जाता वह दिया जाता है लैप्स वाला नहीं है, यह नहीं कि सिर्फ बिहार के लिये है । यह पांच प्रतिशत राशि रखी जाती है, जब ऑडिट होता है उसके बाद रिलीज होता है । यह कोई... (व्यवधान)

हम भिजवा देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपने सी0ए0जी0 की रिपोर्ट का हवाला दिया, उसके आंकड़ों का उल्लेख किया, क्या यह मामला लोक लेखा समिति के विचाराधीन नहीं है या यह प्रतिवेदित हो चुका है । यह प्रश्न, नहीं तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिये था पहले ही और लोक लेखा समिति के जिम्मे है । सदन का कितना कीमती समय है आपके पदाधिकारी इस जवाब को बनाते हुये क्या इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये था । आपने तो बड़ा सकारात्मक, बड़े विस्तार से जवाब दिया । लेकिन आगे से हमलोगों को सभी माननीय सदस्य को और माननीय मंत्री को थोड़ा सा जो आपके सहयोगी पदाधिकारी हैं वे सभी विषय पर गंभीरता से विचार करके सदन के समय को बचाने का कार्य करें क्योंकि यह मूल प्रश्न इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : जी सर, जी सर मैं भी यही कह रहा था ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आप क्यों खड़ा हो जाते हैं बीच-बीच में । दो लाईन का विषय था और आपने जवाब भी विस्तार से दिया है और आपने बड़ी गंभीरता के साथ समीक्षा भी की । वही मंत्री बेहतर जवाब देते हैं जो पूरे विषय को गंभीरता से समझते हैं, लेते हैं यह अच्छी बात है लेकिन प्रश्न से सदन का समय, अब देखिये हमारा अल्पसूचित का समय समाप्त हुआ, अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब नहीं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल सका, क्या जो पदाधिकारी दोषी हैं...

टर्न-3/राहुल/25.03.2022

अध्यक्ष : हमने जो बोला है उसी के अंदर जवाब है और माननीय मंत्री जी भिजवा देंगे ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : हम भिजवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब तारांकित प्रश्न लिये जाएंगे । बैठ जाइये । श्री विजय शंकर दूबे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2854 (श्री विजय शंकर दूबे, क्षेत्र संख्या-112, महाराजगंज)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक है । वर्ष 2020 में रबी, खरीफ एवं गरमा मौसम में प्रत्येक तिमाही के अंतिम बुधवार को सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर के0सी0सी0 शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्ष 2020 में 12 फरवरी, 2020 से 27 फरवरी, 2020 तक प्रखण्ड स्तरीय के0सी0सी0 शिविर का आयोजन किया गया । मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया था जिसके

फलस्वरूप पूर्व से निर्धारित कैंम्प का आयोजन स्थगित करना पड़ा था, परन्तु सामान्य रूप से बैंकों में के0सी0सी0 आवेदन भेजने का क्रम जारी है । प्राप्त आवेदनों के आधार पर के0सी0सी0 निर्माण का कार्य भी बैंकों द्वारा निरंतर किया जा रहा है । साथ ही किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी निरंतर जारी है । सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पत्रांक-367, दिनांक-15.03.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार महाराजगंज एवं भगवानपुर हाट प्रखंड में के0सी0सी0 का वितरण निम्नवत है :

राशि : लाख रू0 में

महाराजगंज				
	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
नया के0सी0सी0	189	134	98	75
नवीनीकृत के0 सी0सी0	1325	1477	1009	1107
भगवानपुर हाट				
नया के0सी0सी0	105	54	19	10
नवीनीकृत के0 सी0सी0	643	788	458	582

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है आप पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

आप वरिष्ठ लोग हैं, जब दूसरा प्रश्न हो गया तो फिर पीछे कैसे बैक होने लगे? उत्तर संलग्न है आप पूरक पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है और यह पहले सदन में आ चुका है जातीय जनगणना से संबंधित है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष हों या नेता सदन हों, सदन के अन्दर सभी का मान बराबर होगा, प्रश्न में...

(व्यवधान)

आए हैं तो वह नहीं आए हैं, उनके लिए बैक नहीं जा सकते हैं, बैठिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की भावना, उनका प्रश्न कमजोर है क्या ? पूरक पूछिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पूरक पूछेंगे या आगे बढ़ें ?

(व्यवधान)

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोरोना के कारण कैंप नहीं लगाये गये, लोन वितरण कम हुआ । वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने क्या निदेश दे रखा है और सरकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर किसानों को भू-लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत कर किसानों के के0सी0सी0 ऋण आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो तो त्रुटि निवारण करते हुए बैंक को उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाय ताकि अधिक से अधिक संख्या में के0सी0सी0 ऋण आवेदन स्वीकृत कर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, सदन में प्रश्नोत्तरकाल है, सदन में प्रश्नोत्तरकाल में शांति बनाये रखिये, बैठ जाइये सब लोग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : किसानों को के0सी0सी0 ऋण उपलब्ध कराया जा सके । प्रखंड स्तरीय शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड में स्थिति सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है । महोदय, आपने पूछा है सीवान जिला के अन्तर्गत तो मैं उसको बता दे रहा हूं कि...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

वर्ष 2020-21 में के0सी0सी0 की उपलब्धि निम्नवत है : महोदय, जिला सीवान में के0सी0सी0 का जो लक्ष्य था वह 32,160 था और राशि निर्धारित 25,725 थी, स्वीकृति हुई 3049 की और... (व्यवधान)

राशि थी 2604, विमुक्त राशि 3009 और जो राशि दी गई जो वितरित हुई अन्तिम रूप से वह 2447 थी...

(व्यवधान)

महोदय, यह तो फ्रेश है और जिसका रिन्यूअल हुआ उसकी लक्ष्य संख्या 35147 थी, राशि 23617 थी...

(व्यवधान)

संख्या 35127 थी महोदय, 23132 थी । महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 का अद्यतन प्रतिवेदन इस प्रकार है :

(व्यवधान)

महोदय, सीवान जिला का जो लक्ष्य है वह 23632 है, राशि 22904 है और स्वीकृति 1905 है, राशि 1290 है, विमुक्त राशि 1073 है और राशि...

(व्यवधान)

महोदय, राशि 1195 है । महोदय, जो नवीकरण हुआ, रिन्यूअल हुआ उसका 18734 है और राशि 15146 है, विमुक्त राशि उसकी संख्या है 18534 और विमुक्त राशि 15065 है ।

(व्यवधान)

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कोरोना के कारण सीवान सहित पूरे राज्य में के0सी0सी0 ऋण का वितरण बहुत ही कम हुआ...

(व्यवधान)

मैं सरकार से जानना चाहता हूं आगे वर्ष 2021-22 में और कैंप लगाकर के किसानों को ऋण वितरण करने का विचार सरकार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, इसकी तैयारी हो गई है और सामान्य स्थिति अब होने को है और हम इसके लिए अब तैयार हैं और कैंप लगाकर के के0सी0सी0 का वितरण करवाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन पर जुल्म आप लोग मत करिये, सदन का प्रश्नोत्तरकाल चलने दीजिये...

(व्यवधान)

आप ही का प्रश्न था, आप ही के प्रश्न से शुरू हुआ । अब आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो वह तमाशा मत बनाइये । यह बड़ी गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है...

(व्यवधान)

आप लोगों को हमने कह दिया है कि सदन नियम से चलता है, सदन किसी के दबाव में नहीं चलेगा, बैठ जाइये अपनी जगह पर । श्री जनक सिंह ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-2855 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र संख्या-116, तरैया)

श्री जनक सिंह : पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : महोदय, पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ । पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2856 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : नगर आयुक्त, नगर निगम, मधुबनी के पत्रांक-178, दिनांक-03.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर निगम, मधुबनी क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित तीन पार्क क्रमशः विद्यापति पार्क, प्रमोद वन तथा चिल्ड्रेन पार्क, गंगा सागर को नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1910, दिनांक-27.05.2021 द्वारा उसके रख-रखाव, विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तानांतरण किया गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सत्येंद्र प्रमोद वन कब बनाएंगे बस इतना ही बता दें ।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : नहीं यह उचित नहीं है, कोई सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो उनको डांटने का अधिकार किसी को नहीं है, यह गलत है । कोई सदस्य प्रश्न पूछते हैं उनको डांटने का अधिकार नहीं है।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके नगर क्षेत्र में तीन पार्क हैं लेकिन एक पार्क और है जिसकी चर्चा अभी नहीं है वह नगर निगम कार्यालय के सामने है । उस नगर निगम के पार्क को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से तैयार करके लोकार्पण भी कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज मंजिल ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सुन लीजिये...

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्य सुन लीजिये । माननीय सदस्य, सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

अब राजनीति आप दोनों बतियाईये । आसन को राजनीति में मत घसीटिये ।

(व्यवधान)

आप लोग उचित प्लेटफॉर्म पर प्रश्न लाते हैं, प्रश्न नहीं सुनेंगे और उसे डिस्टर्ब करेंगे तो इससे आप राजनीतिक लाभ उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं वह नहीं मिलेगा । सदन विमर्श, वाद-विवाद की जगह है, समय है, यह उचित नहीं है...

(व्यवधान)

आप बताइये कि आपके प्रश्न का समय समाप्त हो गया तो आप जबरन चाहते हैं कि जवाब दें, यह कभी नहीं होगा । आप लोग सुन लीजिये इस आसन पर जब तक हम बैठेंगे, कोई भी व्यक्ति हो जबरदस्ती किसी की बात नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

टर्न-4/मुकुल/25.03.2022

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह बात नहीं होगी । माननीय सदस्य, श्री मनोज मंजिल ।

तारांकित प्रश्न सं0-2857 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195, अगिआंव (अ0जा0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-2858 (श्री नन्द किशोर यादव, क्षेत्र सं0-184, पटना साहिब)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तकनीकी कारणों से वर्णित योजना की निविदा को रद्द करते हुए एकरारनामा को भी रद्द कर दिया गया है ।

पुनः अवशेष कार्यों का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदोपरांत निविदा की प्रक्रिया की जायेगी ।

वर्तमान में उच्च प्रवाह नलकूप के माध्यम से शहरवासियों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ।

3- उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का मुझे जवाब मिला है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में डालना चाहूंगा कि यह जो योजना थी, ग्राउंड वाटर लगातार नीचे चला जा रहा है पानी का । इसलिए ओवर हेड टैंक बनाकर पानी की सप्लाई का निर्णय हुआ था । लेकिन मंत्री जी का जवाब आया है कि तकनीकी कारणों से निविदा रद्द हुई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या अगले वित्तीय वर्ष में प्राक्कलन तैयार कर निविदा का कार्य प्रारंभ किया जायेगा ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकहित में इन्होंने सदन के माध्यम से इस ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है । महोदय, यह जो पानी टंकी है, जो अभी अधूरी है इसे 15 अप्रैल तक निविदा कराकर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा । मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं और सदन को भी आश्वस्त करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री नन्द किशोर यादव : मंत्री जी, आपको धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सादा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2859 (श्री रत्नेश सादा, क्षेत्र सं0-74, सोनवर्षा (अ0जा0)</u>

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के निदेशन में सम्पादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपजदर आंकड़ों के आधार पर वैसे ग्राम पंचायतों जहां इस योजनान्तर्गत अधिसूचित फसलों की वास्तविक उपजदर में क्षति प्रतिवेदित हुई है, के निबंधित किसानों को सत्यापन प्रक्रिया के उपरान्त सहायता राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके आधार से संबद्ध खाते में किया जाता है । योजना के प्रावधानों के तहत सहायता राशि का भुगतान खरीफ मौसम हेतु मार्च-अप्रैल माह में एवं रबी मौसम हेतु अगस्त-सितम्बर माह में किया जाना प्रावधानित है ।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के निदेशन में सम्पादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपजदर आंकड़ों के आधार पर खरीफ 2021 मौसम में बनवा इटहरी प्रखण्ड के इटहरी, जमाल नगर एवं महारस पंचायतों में वास्तविक उपजदर में क्षति प्रतिवेदित नहीं हुई है । अतः इन पंचायतों के निर्बंधित किसानों को सहायता राशि की अनुमान्यता नहीं है ।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के उपजदर आंकड़ों के आधार पर खरीफ 2021 मौसम में बनवा इटहरी प्रखण्ड के घोरदौड़, रसलपुर एवं सरवेला ग्राम पंचायत में धान फसल की वास्तविक उपजदर में क्षति प्रतिवेदित हुई है । योजना के दिशा-निर्देशानुसार इन पंचायतों के निर्बंधित किसानों का सत्यापन प्रक्रिया चल रही है । अभी तक घोरदौड़ पंचायत के 42 किसानों को 7,03,437/- (सात लाख तीन हजार चार सौ सैंतीस) रुपये, रसलपुर पंचायत के 01 किसान को 6070/- (छः हजार सत्तर) रुपये एवं सरवेला पंचायत के 398 किसानों को 27,23,016/- (सताईस लाख तेईस हजार सोलह) रुपये सहायता राशि के भुगतान हेतु बैंक को एडभाइस निर्गत है । सत्यापन प्रक्रिया के उपरान्त इन पंचायतों के शेष लाभार्थी किसानों का भुगतान किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, हमको जवाब मिला है बनवा इटहरी प्रखण्ड के इटहरी, जमाल नगर एवं महारस पंचायतों के किसानों ने आवेदन ही नहीं किया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई किसान ऐसा है जो फसल क्षति का आवेदन नहीं देगा और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे किसान सलाहकार और प्रखण्ड कॉर्डिनेटर आवेदन लेकर ठंडे बस्ते में डालकर तीन पंचायत के किसानों को फसल क्षति के मुआवजा से वंचित किया है । इसपर माननीय मंत्री जी कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सहकारिता विभाग को ट्रांसफर हुआ है । क्या मंत्री जी आप जवाब देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप जवाब दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कह दिया कि ये सांख्यिकी विभाग के द्वारा यह सर्वेक्षण कराया गया है, सांख्यिकी विभाग ने फसल की कटनी करके उसका मापदंड तैयार किया है और जहां पर क्षति हुई ही नहीं है वहां पर फिर मुआवजा देने का सवाल

कहां से उठता है । महोदय, जहां पर क्षति हुई है वहां पर 42 किसानों को 7,03,437/- (सात लाख तीन हजार चार सौ सैंतीस) रुपये, रसलपुर पंचायत के 01 किसान को 6070/- (छः हजार सत्तर) रुपये एवं सरवेला पंचायत के 398 किसानों को 27,23,016/- (सताईस लाख तेईस हजार सोलह) रुपये हमलोगों ने भुगतान किया है, बैंक के डी0बी0टी0 के माध्यम से ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी सीट पर बैठिए ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अगर माननीय सदस्य कोई स्पेशिफिक बात कहते हैं तो वह लिखकर देंगे और महोदय, जिलाधिकारी से हम जांच करवा देंगे ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह हो सकता है कि किसी प्रखंड में या किसी पंचायत में किसान के फसल की क्षति नहीं हुई होगी, यह प्रखंड कॉर्डिनेटर की गलती है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्रवाई करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन की बैठक 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-5/यानपति/25.03.2022

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

पहले सब लोग बैठ जाइये । नहीं, बैठ जाइये । यह उचित नहीं है, पुराने लोगों को तो और ज्यादा आप लोगों से, बैठ जाइये सब लोग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गए)

माननीय सदस्यगण, आज महान् देशभक्त, सरस्वती पुत्र, राष्ट्रवादी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि है । आज के दिन ही एक सांप्रदायिक उन्माद को रोकते हुए मां भारती के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था । विद्यार्थी जी जितने बड़े शब्द साधक थे उतने ही तपोनिष्ठ सामाजिक योद्धा भी थे । 'अभ्युदय,' 'सरस्वती,' 'प्रताप' जैसी उल्लेखनीय पत्रिकाओं के माध्यम से तो उन्होंने जन-जागरण का कार्य किया ही, साथ ही लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी अपना सक्रिय योगदान दिया । उनके कृतित्व को नमन करते हुए मैं गीता का सूत्र वाक्य कहना चाहूंगा कि ''नैनं छिन्दति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक:'' यानी न उसे शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है । गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अमर नायकों का कर्म ऐसा ही होता है । मैं अपने तथा पूरे सदन की ओर से महान् कर्मवीर गणेश शंकर विद्यार्थी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन करता हूं।

जो लड़कर पाना चाहते थे शांति,
यह कराह उनकी निराशा की आवाज है,
जो कभी एक बसी बसाई बस्ती थी,
वह उजार उसकी सहमी हुई आवाज है,
बधाई उन्हें जो सो रहे थे बेखबर नींद
और देख रहे थे कोई मीठा सपना,
यह आवाज उनके खर्राटों की आवाज है ।

जब सदन चलेगा, आप अपनी बात रखेंगे, विषय को गंभीरता से, प्रोसीडिंग के तहत भी जाएगा और पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है तो थोड़ा सा हमलोग इस गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखें । हंगामा से आपका विषय भी नहीं आता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं, सदन की गरिमा बढ़ाने में जो आपलोगों की भूमिका रही है उस

भूमिका को हम बेहतर करें और हमने पहले भी कहा था कि कोई भी घटना जिंदगी का एक पन्ना है और जिंदगी पूरी किताब है, एक घटना के लिए पूरी किताब न फाड़ दें, पूरी किताब न खो दें, हम उस पन्ना को फाड़कर हटा देंगे और हम शांति के साथ सदन चलाएंगे, सबको अवसर दे रहे हैं, सबको अवसर मिलेगा । यह आपसे आग्रह है । अब प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

एक बार हो जाने दीजिए, इनका हो जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की जेन्डर बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्षः अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-25 मार्च, 2022 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज सदन में वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम- 172(3), 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

माननीय सदस्यगण...

(व्यवधान जारी)

एक मिनट, माननीय सदस्य आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, आपलोग अपने स्थान पर जायं । तभी हम मौका देंगे जब अपने स्थान पर, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

हम बोलने का मौका दे रहे हैं, एक चीज बता दें चंद्रशेखर बाबू, आप भी सदन के सदस्य थे और मैं भी था और बोलने के लिए उठते थे तो उठने से पहले कहते थे कि बैठ जाइये और आपको इतना मौका मिल रहा है, मैं आप ही के नेता को बोलने का मौका दे रहा हूं । सच से जो आंख मूंद लेते हैं और अपने कथन को जोर-जोर से बोलते हैं, यह इतिहास याद रखेगा । जाइये अपनी जगह पर, जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आप माननीय सदस्य, आप सभी, अब सुनिये न...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य आप...

(व्यवधान जारी)

सभी अपने स्थान पर जाइये । हम मौका देंगे बोलने का, स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

यहीं सही है तो इस तरह से सदन चलाएंगे तो आप कहेंगे...

(व्यवधान जारी)

तो इंसाफ यही कहता है कि सदन, इंसाफ यही कहता है...

(व्यवधान जारी)

आप इंसाफ के लिए...

(व्यवधान जारी)

ध्यानाकर्षण अब अगली तिथि पर होगा, अगली तिथि पर । आपलोग अपने स्थान को नहीं ग्रहण करेंगे तो सदन...

(व्यवधान जारी)

पहले अपने स्थान पर जाइये, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए, स्थान पर जाइये। फिर कहियेगा कि आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं । ऑर्डर में इस आसन को...

(व्यवधान जारी)

आप, इतना इंपोर्टेन्ट प्रश्न है, प्रश्न नहीं चलने दे रहे हैं, आसन से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, सदन विमर्श की जगह का आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/अंजली/25.03.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिए जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, गृह विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा ।

भारतीय जनता पार्टी	- 57 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	- 56 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	- 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 03 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	- 02 मिनट
सी0पी0आई0	- 02 मिनट

माननीय मंत्री, गृह विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 143,72,75,79,000/- (एक सौ तैंतालीस अरब बहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री छत्रपति यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिन पर माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

महोदय, यह राज्य सरकार के गृह विभाग का बजट है और गृह विभाग राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । महोदय, राज्य सरकार गृह विभाग का बजट वर्ष 2019-20 में देखिएगा तो 10 हजार से ज्यादा बढ़ाया, वर्ष 2020-21 में फिर 12 हजार से, वर्ष 2021-22 में 13 हजारा से ज्यादा है तो इनके बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है । महोदय, तीन वर्षों में 30 हजार से ज्यादा की ये बढ़ोतरी किए हैं, गृह विभाग के बजट में है । महोदय, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि गृह विभाग का जो लक्ष्य होना चाहिए सरकार का, गृह विभाग अपने दायित्व के निर्वहन में कहीं न कहीं सफल नहीं हो रहा है । पारदर्शिता के साथ कानून का राज स्थापित करना, इनका एक जुमला है, कानून का राज स्थापित करूंगा । सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास यह सब इनके जुमले के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है । महोदय, हम महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी अच्छा शासन सूची में बिहार 18वें राज्य की सूची में 15वें स्थान पर है । महोदय, नीति आयोग और भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं विभिन्न एजेंसियों के बिहार के बारे में ऐसे कितने आंकड़े हैं, जिसमें बिहार का विकास कीर्तिमान स्थापित होते बताया जाता है । यह कहते हुए भी शर्म आती है कौन आंकड़ा झूठा, कौन आंकड़ा सही यह तो सरकार ही स्पष्ट करें । महोदय, इनका डबल इंजन का है, भारत सरकार का सही है कि इनका सही है । महोदय, बिहार में विकास का दौर जहां 20 साल पहले हमलोग थे आज भी वहीं हैं और यह राज्य ज्वालामुखी की ढ़ेर पर हैं । महोदय, आज घर-घर में हिंसा और दुकानदार, व्यवसायी, अफसर कोई भी सुरक्षित इस राज्य में नहीं हैं, पुलिसिया कानून राज है । महोदय, हमलोग संज्ञान में आपको देना चाहेंगे, आपके ध्यान में, अभी जी0एम0 रोड में दरभंगा में 3 हत्या एक साथ कर दिया गया, भू-माफिया, प्रशासन, थाना की मिलीभगत से, थाना को पीड़ित बार-बार फोन कर रहा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमको बचाइए, नहीं तो लोग हमको मार देंगे, थाना को कहते रह गया, 3 घंटा हो गया, एक किलोमीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर और पेट्रोलिंग और गश्ती भी सरकार की घूमती होगी लेकिन महोदय, तीनों को जिंदा जला दिया गया, गर्भवती महिला को भी जिंदा जला दिया । महोदय, थाना नहीं गया, थाना बड़ी रिश्वत, मोटी रकम लेकर उसको माफिया को जब तक तुमको कब्जा नहीं हो जाता है जमीन, तब तक हम नहीं जायेंगे । महोदय, सरकार को जांच करानी चाहिए, ऐसे पदाधिकारी को फांसी की सजा सुनानी चाहिए । सरकार में हिम्मत नहीं है, सरकार किस ताकत पर

पोस्टिंग करती है, आप थाने की बात छोड़ दीजिए, हम बहुत सारे थाने के मामले को रखेंगे, बहुत सारा मामला है । महोदय, बिहार के जो डी0जी0पी0 हैं, बिहार के डी0जी0पी0 की कैसे नियुक्ति हुई है, सरकार को शर्म आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकार एफिडेविट करे, सरकार ने एक गलत आदमी की नियुक्ति कर दी जो आदमी जिस राज्य का पुलिस का हेड, हम हेड इसलिए कहते हैं, एक कमिश्नर से हमारी बात हो रही थी पुलिस होम सेक्रेटरी से, पुलिस होम सेक्रेटरी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो चिनिया बादाम जो होता है ऊपर का छिलका हैं भीतर में जो दाना है वे तो डी0जी0पी0 हैं, डी0जी0पी0 को कहिए न, इस सरकार की यह हालत है । महोदय, इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, गृहमंत्री सदन में सुनते होंगे, अपने कक्ष में, सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, वे सुनते होंगे और कुछ ऐसी बात हम बोलेंगे तो आएंगे, गर्म होकर वे सदन में आएंगे । वे अपने कक्ष से सारा देखते रहते हैं और अभी जो हमारे प्रभारी ऑथोराइज्ड मंत्री जी हैं बिजेन्द्र बाबू, ये तो बहुत विद्वान हैं, वरिष्ठतम सदस्य भी हैं लेकिन महोदय, माननीय सदस्य हृदय पर हाथ रखकर कहें जब ये उठते हैं तो हमलोग पहले प्रणाम करते हैं । महोदय, नकारात्मक जवाब के लिए ये पी0एच0डी0 होल्डर हैं । महोदय, हमलोग पहले प्रणाम करते हैं कि महोदय आप मत उठिए, एक तो इनको नकारात्मक जवाब का महारथ हासिल है, एक जवाब सकारात्मक है हम उदाहरण देंगे, माननीय मंत्री जी नाराज नहीं हों चूंकि मुख्यमंत्री जी हो सकता है सुनते हों तो जरूर आएंगे लेकिन महोदय, हमलोग गांव-घर में सुनते थे एक तो नीम और ऊपर से करेला, तो गृह मंत्री क्या हैं नीम हैं कि करेला हैं और प्रभारी ऑथोराइज्ड मंत्री, करेला हैं कि नीम हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, ललित बाबू दूसरे को पी0एच0ई0डी0 की डिग्री बांट रहे हैं...

श्री ललित कुमार यादव : आप बैठिए, आप बैठिए, आपका समय आएगा तो बोलिएगा, आप सरकार में हैं, धैर्य रखिए सुनने की । सरकार को धैर्य रखनी चाहिए सुनने की । महोदय, तो जिस राज्य के डी0जी0पी0 की नियुक्ति ही गलत हुई हो, हम उस राज्य में पुलिस और दरोगा से क्या न्याय की उम्मीद करते हैं । महोदय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायाल ने यू0पी0एस0सी0, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने कोई सूची वरीयता का नहीं भेजा है तो जिस राज्य के चिनिया बादाम के अंदर का दाना ही गलत हो, वही सड़ा-पका हुआ हो, गला हुआ हो, उस सरकार में हम कानून से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये ढपोरशंखी ऐलान कानून का राज हम बिहार में स्थापित करेंगे । बाकरगंज में दिन-दहाड़े सोना व्यवसायी की 12 बजे दिन में लूट हो गई और इतने बड़े बाकरगंज का इलाका, आप फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं कि कानून का राज

है, हमारा डी0जी0पी0 बहुत अच्छा काम कर रहा है । महोदय, बिहार आर्म्ड पुलिस स्पेशल बिल आ रहा था 2021 में, महोदय, उसी दिन सदन में 23 मार्च की जो घटना घटी महोदय, वो काला दिवस था, काला दिन था, जिस तरह से माननीय विधायक को बूटों के द्वारा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जिस तरह से महोदय, यानी पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता की आत्मा रो गई महोदय ।

..क्रमशः..

टर्न-7/सत्येन्द्र/25-03-22

..क्रमशः..

श्री ललित कुमार यादव : सदन में यदि विधायक सुरक्षित नहीं है, हम तीन तीन लाख के प्रतिनिधि यहां जनता के बीच से चुनकर आते हैं । महोदय, सदन में माननीय सदस्य की हिफाजत और सुरक्षा का कस्टोडियन आप हैं, आपने कैसे इजाजत दे दिया महोदय पुलिस को अंदर आने का, आपने कैसे बाहर महोदय पुलिस को इजाजत दे दी इतनी बड़ी महोदय, वही घटना की पुनरावृत्ति 14 मार्च 2022 की है महोदय, यह उसी की कड़ी है । एक आसन पर बैठे हुए, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब अपने क्षेत्र की घटना की समीक्षा करते हैं डी0जी0पी0 के साथ तो डी0जी0पी0 का बॉडी लैंग्वेज घोर आपत्तिजनक था महोदय, सदन ये बर्दाश्त नहीं करेगा । जो आसन पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका अपमान डी0जी0पी0 द्वारा किया गया महोदय, घोर आपत्तिजनक बॉडी लैग्वेज उनका था बाहर में प्रेस और मीडिया के सामने में, महोदय यह उसी का कड़ी है, 14 मार्च का जो घटना घटी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे थे वे गृह मंत्री भी हैं बहुत पुराने और अनुभवी है, संसदीय प्रणाली के ज्ञाता भी हैं क्या कह रहे हैं, वे 85 से है हमलोग तो महोदय इस सदन में 95 से आये हैं, हमारे बिजेन्द्र बाबू भी बहुत सीनियर हैं और वरिष्ठ है, 90 से आये हैं महोदय लेकिन महोदय जवाब सदन में जो बिजेन्द्र बाबू देते हैं, हम उस पर आयेंगे महोदय लेकिन 14 मार्च की जो घटना है महोदय जो लखीसराय में जो घटना घटी थी महोदय, उस पर आसन संज्ञान नहीं ले और आसन संज्ञान ले तो कुर्की जप्ती के आदेश पर यह नहीं पूछ सकता है आसन कि आप कुर्की जप्ती करियेगा कि नहीं करियेगा । सदन को और सदस्य को संतुष्ट करने का अधिकार आपको है, आप संरक्षक है महोदय,यह आसन को अधिकार है । किस कानून में, किस विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली में यह कहता है कि कुर्की जप्ती हुआ कि नहीं हुआ, यह आसन को पूछने का अधिकार नहीं है, सदन के सदस्य को पूछने का अधिकार नहीं है, किस विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में है कि आसन

को स्थगित करने का अधिकार नहीं है, किस विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम में है कि कोई सदस्य पूरे बिहार का प्रश्न नहीं पूछ सकता है लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का जवाब महोदय था आसन के प्रति, देश और दुनिया उसको देखा महोदय और इससे सदन के प्रति जो सदन की गरिमा घटी है महोदय, ये 12 करोड़ जनता इसी को याद कर रही है वह माफ नहीं करेगी । सत्ता पक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री के प्रभार में भी हैं, कभी गृह विभाग का जवाब होता है तो देखते हैं कि कभी गृह मंत्री जवाब नहीं देते हैं, हमलोगों को उत्सुकता रहती है, वे वरीय सदस्य है, उनको संसदीय प्रणाली का ज्ञान है सीखते उनसे, वैसे तो बिजेन्द्र बाबू का जवाब आता है तो पहले ही हम प्रणाम कर लेते हैं लेकिन उनका जवाब हमलोगों को सुनने का मौका नहीं मिला है और उच्च सदन में भी वे रहे हैं, सभापति के भूमिका में भी हमलोग देखे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को लेकिन सभापति के पद पर रहते हुए और आसन का मर्यादा नहीं किया, किस तरह से जब जिवेश कुमार जी बोल रहे थे तो उनको बार-बार कह रहे थे कि बैठिये, वे बैठ गये, मंत्री जी भी बैठे गये, आसन का कोई निर्देश नहीं फिर आसन को बार बार कहा जा रहा है कि आपको संविधान की जानकारी नहीं है और इस तरह से ऊंगली दिखला दिखला कर के, क्या यह विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में आता है महोदय और आपको प्रश्न स्थगित करने का अधिकार नहीं है, ये बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की किस नियम में है महोदय, आप मर्यादा को तार तार करिये, आप सुशासन बाबू हैं, हमलोग कुछ नहीं बोल सकते हैं और जब राज्य के डी0जी0पी0 ही आपके गलत बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति गलत है, यू0पी0सी0 ने शपथ पत्र में कहा कि हमने कोई इनकी वरीयता सूची नहीं भेजी है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगायी और नोटिस किया है कि आप हलफनामा जमा कीजिये और इसके बाद भी कह रहे हैं कानून का राज है, हम सुशासन बाबू हैं । अपना पीठ जितना थपथपाना है, थपथपाईए इससे कोई आपको रोके हुए है महोदय, हमलोगों के पार्टी के और माननीय सदस्य बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, हमलोग जो काला दिन 14 मार्च का भी दिन 23 मार्च का भी दिन और अभी महोदय जहां जहरीली शराब से मौत हो रही है महोदय, सरकार से हमलोग मांग करते रह गये, गृह मंत्री जी आकर इतना भी आश्वासन नहीं दिये कि इस पर हम किसी दिन सदन में बहस करवा देंगे । संसदीय कार्यमंत्री जी का तो घुमऊआ जवाब रहता है, उनका था कि जिस दिन गृह विभाग का अनुदान मांग होगा तो उसमें आप इसको रखियेगा । अरे, गृह विभाग के अनुदान मांग पर कितनी बातों को रखी जा सकती है । ये परम्परा रहा है कि कोई विशेष घटना घटती है तो सदन में उस पर विशेष वाद विवाद चर्चा होता है लेकिन

आपने उसको भी कराने की हिम्मत नहीं की । महोदय, कल कोई किसी को जहर देकर मार देगा और कहेगा कि शराब से मौत हो गयी, सरकार उसका पोस्टमार्टम नहीं करायेगी, सरकार क्यों पोस्टमार्टम से भाग रही है, पुलिस जाकर के उसके घरवालों को प्रताड़ित करती है और कहती है कि तुम पोस्टमार्टम कराओगे तो तुमलोग को जेल में भेज देंगे, क्यों सरकार भाग रही है पोस्टमार्टम से, क्या मुआवजा के डर से, क्या नकली जहरीली शराब के डर से, किस डर से सरकार उनका पोस्टमार्टम नहीं कराती है सरकार जवाब दे महोदय, बेलागंज में किस तरह से घटना घटी महोदय । महोदय, बेलागंज में किस तरह से घटना घटी, किस तरह से बच्ची को हाथ पीछे बांधकर, इस तरह से अंग्रजी शासन में भी नहीं हुआ था, माननीय ऑथोराईज्ड प्रभारी मंत्री जी, यदि हिटलर भी रहता तो इससे वह शर्म से सर झूका लेता लेकिन आपलोग तो हिटलरशाही में है, इतना मत करिये, हिटलरशाही की कोई सीमा होती है, आपलोग उन सारी सीमा को पार कर चुके हैं फिर भी सुशासन बाबू हैं, फिर भी न्याय के साथ बिकास की बात करते हैं महोदय । इस पर महोदय बहुत कुछ नहीं कहना है, हमलोगों के यहां एक मनिगाछी की घटना है और हम माननीय मंत्री जी से भी इस पर प्रश्न के माध्यम से पूछे थे लेकिन माननीय मंत्री जी ने भी उसका जवाब सही नहीं दिया । हमको लग रहा है महोदय कि शीर्ष पद पर बैठे हुए जब डी0जी0पी0 ही अनुकम्पा पर हो, किसी के कृपा पात्र पर हो, उनको बैकडोर से ठेला गया हो तो हम न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं महोदय । एक महोदय कांड है 23-11-2021 की ओर हम सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, इसमें प्रश्न भी आया था महोदय, अति पिछड़ी जाति के ये ललित ठाकुर जो बढ़ई जाति के लोग हैं, सरकार कहती है कि हम अति पिछड़ा के लिए विशेष कर रहे हैं और उनके परिवार में महोदय 10 दिन तक ललित ठाकुर, मदन ठाकुर, मोहन ठाकुर वगैरह को महोदय 10 दिन तक पुलिस के संरक्षण में अमानवीय व्यवहार, मवेशी की तरह दस दिन तक पीटते रहा, महोदय पांच केस दर्ज हुए, इसका प्रमाण भी है और वे लोग होस्पीटल में भी थे महोदय और महोदय जब हमलोग थाना को फोन किये कि भाई एक घर अल्पसंख्यक लोग है, बढ़ई समाज का लोग है और बहुसंख्यक लोग उसे मार रहा है तो महोदय, पुलिस वहां जाती थी रोज लेकिन इसके पीटने के बाद पांच एफ0आई0आर0 हुआ महोदय, थाना को हमलोग कहते रह गये और थाना ने कहा कि इसमें हमलोग जांच करेंगे, हमारे इंस्पेक्टर साहब जांच कर रहे हैं, मवेशी की तरह उनको 10 दिन तक पीटा गया । हमलोग आपको भेजे वहां आपने महोदय अब सरकार की कहां पहुंच है महोदय, सरकार के लोग किस तरह से अति पिछड़ा समाज को, गरीब समाज को न्याय नहीं मिले महोदय, उसके लिए

क्या क्या कर रही है, इंस्पेक्टर ने जो होस्पीटल में मार खाने के बाद ऐडमिट था, उस पर झूठा मुकदमा कर के अब दोनों केस को टू कर दिया।(क्रमशः)

टर्न-8/मधुप/25.03.2022

..क्रमशः..

श्री ललित कुमार यादव : 10 दिन बाद दूसरा केस हुआ और जब प्रश्न आया तो प्रश्न का जवाब आया, जवाब हम अध्यक्ष महोदय को भेज देते हैं, अध्यक्ष महोदय के पास तो होगा भी, हम आपको दे देते हैं, इसमें इनका जवाब आया, जो मार खाया व्यक्ति, जो हॉस्पीटल में रहा उसका अनुसंधान जारी है, जो हॉस्पीटल में व्यक्ति रहा उसपर टू कर दिया । यही आपका पुलिसिया कानून है । जो पिटाया, जो हॉस्पीटल में एडमिट है, जो बेड पर है, उसके पूरे शरीर में प्लास्टर लगा हुआ है, बेड से उठ नहीं सकता है, उसपर दो-दो एफ0आई0आर0 हुआ । आप दिखवा लीजिये, महोदय, आप मेरा प्रश्न संख्या देख लीजिये और उसको न्याय नहीं मिला । सिर्फ एक घटना नहीं है महोदय, अनेक घटना है । इस सरकार को हमलोग क्या कह सकते हैं ? सरकार तीन नम्बर की पार्टी है । तीन नम्बर की पार्टी जब सरकार में बैठी हो बैकडोर से तो हम उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं ? यदि आप सुशासन का राज, कानून का राज आप स्थापित किये होते तो तीन नम्बर की पार्टी नहीं बल्कि एक नम्बर की पार्टी रहते । जरा सोचिये, एक नम्बर की पार्टी रहते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, अति पिछड़ा समाज के साथ जो जुल्म हुआ, हम इसमें कहना चाहते हैं प्रभारी मंत्री जी,

जुर्म करने वाला जेल में रहता है कहाँ,
गरीबों को आसानी से न्याय मिलता है कहाँ ।

महोदय, यही आपका राज है । गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है ।

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक-दो मिनट में संक्षिप्त कर लेते हैं । महोदय, आप यह कहिये, लखीसराय में जो घटना घटी, जो आयोजक था, जो आयोजनकर्त्ता था, जो रात भर कार्यक्रम करवाया, उसपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की और जो दर्शक दीर्घा में लोग थे उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया । यही न आप मामला को कहे थे डी0जी0पी0 को देखने के लिए । महोदय, डी0जी0पी0 कैसे देखेंगे ? वह तो कहीं से बंधे हुये हैं ।

कहीं से इशारे पर चल रहे हैं । ऐसे मामले जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की फटकार लगी हो, ऐसे गलत लोगों को आप डी0जी0पी0 के पद पर बैठाये हुये हैं, अविलंब हटाइये, सरकार को ताकत है, न्याय के साथ आप विकास और कानून का राज आप स्थापित करना चाहते हैं तो । नहीं तो यह तकिया कलाम मत पढ़िये कि कानून का राज स्थापित करेंगे । महोदय, हमलोग इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे । महोदय, मेरी पार्टी की ओर से और भी वक्ता हैं, रामानुज जी हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब आप समाप्त करें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम अपनी बात को यही कहकर समाप्त करते हैं कि कानून का राज कहने का नहीं, कानून का राज ये लोग स्थापित भी करें ।

अध्यक्ष : श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर कटौती प्रस्ताव माननीय ललित कुमार यादव जी द्वारा लाया गया, मैं इस कटौती प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ क्योंकि सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं और उसके बावजूद भी अगर कटौती प्रस्ताव आ रहा है तो यह सदन के लिए अच्छा नहीं है, बहस के लिए जरूर अच्छा है ।

महोदय, गृह विभाग की जब हमलोग चर्चा करते हैं तो कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था को दुरूस्त करना उसकी प्राथमिकता है । पुलिस का आधुनिकीकरण करना, पुलिस को सुसज्जित करना, कानून का राज स्थापित करना लेकिन महोदय, जब दृष्टिपात करते हैं और जब चर्चा हो रही थी तो याद आ रहा था कि इस बिहार की चर्चा में अगर लोकनायक जय प्रकाश नारायण की चर्चा न हो तो हर चर्चा अधूरी होगी । क्योंकि आज 31 वर्ष से इस सदन के अंदर जो सरकारें चल रही हैं उसमें एकाध वर्ष को छोड़ दीजिये तो सब के सब लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति की उपज हैं, महोदय । उसकी पहली पाली 1990 में जिनके हाथों में गयी उसके बाद बिहार में कानून का शासन समाप्त हो गया, अपराधियों का तांडव होने लगा था, बिहार कलंकित होने लगा था, जय प्रकाश नारायण जैसे महत्वपूर्ण महात्मा कलंकित होने लगे थे कि उनके शिष्य ही बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज वे कहाँ पहुँच गये, कहाँ से कहाँ चले गये । महोदय, यह सोचने का विषय है । यह सदन किसी को माफ नहीं करता है । महोदय, यह बिहार की धरती है, चन्द्रगुप्त, चाणक्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, जो लोग इसके साथ गलत करेंगे उनका जगह कहाँ होगा, वह हमलोग देख रहे हैं ।

महोदय, दूसरी पाली 15 वर्षों के बाद आती है और बिहार को एक नया बिहार बनाने का, एक विकसित बिहार बनाने का जो सपना लेकर उसी जय प्रकाश नारायण के

सम्पूर्ण क्रांति की उपज की दूसरी खेप जब प्रारंभ हुई तो आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी ने इस बिहार के अंदर काम करना प्रारंभ किया । जब उनकी जोड़ी ने इस बिहार के अंदर काम करना शुरू किया तो अपराधी बिहार को छोड़कर अन्य प्रदेशों में भागने लगे थे और तब जाकर यह बिहार फिर से एक बार लगा कि गौतम बुद्ध की धरती की ओर चल पड़ा । महोदय, इसमें बड़ी भूमिका बिहार के गृह विभाग की रही है और गृह विभाग के बिना यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि गृह विभाग के अंदर जो कानून का शासन स्थापित करना है, बिहार सरकार का गृह विभाग उसके लिए विनियामक विभाग है और इस विभाग के द्वारा जहाँ एक ओर राज्य सरकार की विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाती है वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पुलिस कारा, अभियोजन, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सम्वर्ग नियमावली का निर्माण सम्वर्ग नियंत्रण एवं वित्तीय नियंत्रण जैसे महत्वूपर्ण कार्य भी सम्पादित किये जाते हैं ।

महोदय, आज अगर हम देखेंगे तो इस बिहार के अंदर जो काम हुआ है, जिस प्रकार से समय बढ़ता गया है, अपराध की श्रेणी भी बढ़ती गयी है । आज अपराधी साइबर क्राइम पर आ गया है और सरकार भी, बिहार की सरकार और गृह विभाग तथा बिहार की पुलिस की सजगता के कारण आज जिस मोबाइल का, जिस संचार सुविधा का उपयोग कर अपराधी अपराध करते हैं, उसी संचार सुविधा का उपयोग करके पुलिस उसपर नियंत्रण कर रही है । लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत बिहार आगे बढ़ रहा है ।

(व्यवधान)

आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिहार के कई चीजों का अनुसरण अन्य राज्य के लोग करते रहे हैं और बिहार में जब आर्म्स ऐक्ट के मामले में तेज कार्रवाई होनी शुरू हुई तो दिल्ली की टीम आकर बिहार का अध्ययन किया कि कैसे इतने कम दिनों में चार्जशीट सबमीट होता है जबकि वहाँ आर्म्स की जाँच के लिए एस0एफ0एल0 संस्था को भेजी जाती थी लेकिन बिहार ने निर्णय किया कि हम इसमें चार महीना, छः महीना नहीं गंवायेंगे, यह निर्णय की मजबूती के कारण होता है, यह बेमतलब की बातें करने से नहीं होता है । जब निर्णय मजबूत होता है, निर्णयकर्त्ता के मन और नीतियों में जब उनको भरोसा होता है तो मजबूत निर्णय होने से बिहार का कायाकल्प हुआ है । दिल्ली पुलिस की टीम के अधिकारियों ने यहाँ आकर जानकारी प्राप्त किया कि कैसे हम भी इस काम को कर सकते हैं । बिहार में जो

ऐप लांच किया गया है, उसके कारण बिहार में अपराध नियंत्रण में काफी सहूलियत हुई है ।

...क्रमशः...

टर्न–9/आजाद/25.03.2022

.... क्रमशः ....

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जो ऐप लौंच हुआ है, उसके कारण हम इनके समय का छोड़ दिये, 2005 से लेकर 2020 तक 15 वर्षों का अपराधियों का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को एकत्रित करके उसको ऐप के जरिए, अब एक क्लीक के जरिए पता लगाया जा सकता है कि अपराधियों का इतिहास क्या रहा है ? यह अपराधी कितना अपराध किया है, उसकी ऊँचाई क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है ? एक बार अगर उस ऐप पर आयेंगे तो सब कुछ पता चल जायेगा महोदय और आज तो सबसे बड़ी बात है कि महिला के क्षेत्र में जो क्रांति बिहार के अन्दर हुआ है, महिलाओं की भर्त्ती जो पुलिस में हुई है, उसके कारण सबसे ज्यादा महिला पुलिस वाला राज्य इस देश के अन्दर बिहार हो गया है महोदय। इसलिए बहुत लोगों को कष्ट होता है, अब इसको देखना नहीं चाहेंगे, नजरिया बदल लेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा । एक कहावत है – मूँद देहु आँख कतो कुछ नाहीं तो जो लोग आँख मूँदकर बैठे रहेंगे, उनको कुछ नहीं दिख सकता है लेकिन बिहार पुलिस का नया चक्र ऐप लौंच हुआ है तो 5 लाख अपराधियों का डाटा कलेक्ट किया गया है और 5 लाख अपराधियों का डाटा आज सुरक्षित है । उसपर एक बार उँगली दबाने से अपराधियों का पता चल जाता है ।

महोदय, अपराध यह कभी नहीं रूकने की बात है । महोदय, जब तक समाज है, जब तक अपराध होता रहेगा । कई लोग जो अपराध को चाहते हैं कि बिल्कुल समाप्त हो जायेगा तो यह उसी दिन हो सकता है, जिस दिन यह समाज नहीं होगा । अगर समाज रहेगा तो अपराध होगा । लेकिन अपराधी पकड़े जायेंगे, बिहार के अन्दर अपराधी बक्शे नहीं जायेंगे, पुलिस तुरंत कार्रवाई करके अपराधियों को गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, रिकोभरी करती है, उद्भेदन करती है बल्कि ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, आज रोहतास में, रोहतास के माननीय विधायक होंगे, रोहतास में आज नमूना कायम हुआ है कि राज्य में पहली बार महिला कमान्डो का दस्ता वहां पर तैयार हुआ है और वो .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : देख लीजिए महोदय, यह है बिहार के बेटियों का कर्त्तव्य । बिहार में जिस प्रकार से बेटियों ने कर्त्तव्य करके पुलिस में दिखाया है, वह देश नहीं पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा महोदय और बिहार इसलिए सब दिन प्रभावी भूमिका निभाता रहा है । कई लोग .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बीच में उठना उचित नहीं है बिना अनुमति के, आपलोग बैठ जाइए । बार-बार आप डिस्टर्व मत कीजिए, बैठिए । सभी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा । मैं तीन बार पूछूंगा कि आप बैठेंगे कि नहीं ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : बहुत लोगों को महोदय, मिर्ची लग रही होगी कि इतना अच्छा काम बिहार में हो रहा है, उसकी जानकारी विपक्ष के लोग आम लोगों तक इसकी जानकारी को पहुँचने नहीं देना चाहते हैं । जब हमलोग इस सदन के माध्यम से उस विषय को बताते हैं तो भाई इनको क्यों मिर्ची लग रही है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ .....

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो, एन0सी0आर0बी0, 2019 ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक अपराधी घटनाओं में दर्ज मामलों में बिहार देश का 25वां स्थान पर है । यह बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि -

टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना,
बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते,
ढूढ़ लेते हैं अँधेरों में हम अपनी मंजिल,
क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते ।

महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय सचेतक और आपको बिना आभार दिये हुए नहीं रूक सकता । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा । माननीय सदस्य, गृह विभाग के वाद-विवाद में बहुत गंभीरता के साथ अपने विषय को रखने का सबको अधिकार है, शालीनता के साथ। प्रतिपक्ष की ओर से माननीय ललित यादव जी बोल रहे थे, लोग बड़ी शालीनता से सुन रहे थे, पक्ष से लोग बोलते हैं, आप भी सुने और फिर आपकी बात लोग सुने । सदन में यही खूबसूरती

होनी चाहिए कि हम पक्ष और प्रतिपक्ष की बातों को धैर्य से सुनें और अपनी बात को रखें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव के पक्ष में एवं विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यह ऐसा विषय है गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ये सारे विभाग ऐसे हैं जो बिहार के विकास, बिहार की जो हालत है, आज बिहार जहां तक पहुँचा है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है । इसके लिए मैं आपके प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक माननीय श्रवण कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ ।

यह विषय ऐसा है जिसमें काफी आंकड़ों की जरूरत होती है और मेरे पास भी नेशनल क्राईम ब्यूरो सहित कई सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के डाटा है, मैं डाटा में सदस्यों को नहीं उलझाना चाहती हूँ, न सदन का समय जाया करना चाहती हूँ, आपलोग डाटा रेफर कर सकते हैं लेकिन मैं आज कुछ अनुभवों को साझा करना चाहती हूं । मैं राजनीतिक भाषण न देकर के अपने अनुभवों को साझा करूंगी और अपनी बात रखूँगी ।

महोदय, हमारे देश के महान कवि हुआ करते थे संत कबीर दास, वे कहा करते थे कि –

तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता ऑखिन की देखी,
मैं कहता सुरझावन हारि, तू राख्यौ उरझाई रे ।

महोदय, बिल्कुल यही स्थिति हमारे यहां है । हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुलझे विचारों के हैं और वे बिहार को विकास के नये आयाम तक ले जा रहे हैं । दूसरी तरफ हम प्रतिपक्ष की बात करते हैं तो वे बिहार की जनता को उलझाये रखते हैं और लगातार उनको कंफ्यूज करने का काम करते हैं । इसलिए मैं सिर्फ ऑखों देखी ही बात कहूंगी और मैं सिर्फ सुलझी बातें ही कहूंगी, उलझाऊंगी नहीं सदन को और आदरणीय सदस्यों से आग्रह है कि आपलोग भी अपनी सुलझी बातों को ही रखें ।

महोदय, जब हमलोग 2005 से पहले की बात करते हैं तो हमारे माननीय विपक्षी सदस्यों को बहुत पीड़ा होती है, बहुत मिर्ची लगती है । लेकिन जब हम 2005 से पहले की बात नहीं करेंगे तो आज के 2022 तक के यात्रा की बात पूरी नहीं होती है, हमारे सुशासन राज की बात पूरी नहीं होती है, न्याय के साथ विकास की बात पूरी नहीं होती है । ये सारी बातें अधूरी रहती है इसलिए हमें जरूरी है कि 2005 से पहले की

बात हम कहेंगे, माननीय विपक्षी सदस्य इसको बुरा नहीं मानेंगे । मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब मैं होश संभालना शुरू किया, 1985 की बात है, किसकी सत्ता थी, किसकी हुकूमत थी, सबको पता है । उस समय ऐसी हालत थी कि हमारी माँ हमें अकेले घर के बाहर नहीं जाने देती थी, कोई न कोई सदस्य साथ में रहता था तभी हम बाहर जा पाते थे । मैं जिस जगह से आती हूँ, मैं जहां की बेटी हूँ चम्पारण की, वहां पर दस्यु का राज चलता था, दस्यु का संगठन चलता था । मुझे याद है, मेरे गांव के लोग, गांव की महिलायें, गांव की पुरूष रात में बारी-बारी से जगकर पहरा देते थे क्योंकि कई जगह के आसपास के गांवों में भीषण डकैती होती थी, इसके वजह से लोग डरे रहते थे । फिर भी वहां से हमलोग कहां तक आये हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है । उस समय सही में कहूं तो चम्पारण में दस्यु के डकैतों के द्वारा समानान्तर सरकार चलती थी, थाने में अगर डकैती की सूचना देने जाते थे तो सूचना नहीं ली जाती थी, ऐसा था कि दस्यु के संगठन का, दस्यु के सत्ता में बैठे हुए शीर्ष के लोगों तक पहुँच होती थी तो इसके कारण आम लोग तो थाने तक जा ही नहीं पाते थे । महोदय, उसके बाद आया 1990 से 2005 का कालखंड, फिर किसकी सरकार आयी, आपलोग जानते हैं, अगर उसकी चर्चा हमलोग करने बैठेंगे तो रामायण से भी मोटी पोथी हमलोग लिख सकते हैं, उस समय क्या हालत थी ? उस जमाने में महिलाओं को तो छोड़िए, पुरूष भी अगर शाम होने से पहले घर नहीं आते थे तो लोगों के घर में चुल्हा नहीं जलता था, मैंने देखा है, लोगों को शंका होती थी कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है । महोदय, इसका एक ही कारण था कि उस समय बिहार में एक ही उद्योग चलता था, वह अपहरण का उद्योग था । माननीय ललित बाबू कह रहे थे कि किसी मंत्री के विषय में कि आप लोगों ने तो अपहरण और फिरौती में पी0एच0ई0डी0 किया हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे ?

.... क्रमशः ....

टर्न-10/शंभु/25.03.22

श्रीमती शालिनी मिश्रा : ..क्रमशः.. ऐसी हालत थी कि अपहरण का उद्योग चलता था । आज जिस 1 अणे मार्ग में, आज जिस मुख्यमंत्री आवास में बिहार के विकास की गाथा लिखी जाती है, सुशासन के राज की चर्चा होती है उसी 1 अणे मार्ग में किस-किस चीज की वसूली होती थी, किस-किस चीज की फिरौती मांगी जाती थी, क्या-क्या चीज जाता था यह किसी से छिपा नहीं है ।

(व्यवधान)

आपलोग अगर बोलने का गड्स रखते हैं तो सुनने का भी पेशेन्स रखिये ।

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : शांति से सुनें, सुनने का पेशेन्स रखें, बोलने का गड्स सिर्फ आप ही को नहीं है हमें भी है ।

(व्यवधान)

महोदय, पुलिस थानों में.....

अध्यक्ष : आप संक्षिप्त कीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : दो मिनट सर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलते रहिये संक्षिप्त कीजिए अब ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, पुलिस थानों में जहां पर.....

अध्यक्ष : अनिता जी, आप बोलती हैं तो सदन शांति से सुनता है बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : पुलिस के पास गाड़ियां नहीं होती थी, आधुनिक हथियार नहीं होते थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : होते भी थे और अगर उसका उपयोग कर लेते थे तो उनकी नौकरी चली जाती थी महोदय । महोदय, वह दौर था बिहार का जहां पर व्यापारी, इंजीनियर, डाक्टर यहां से पलायन कर रहे थे, व्यापारी इंजीनियरों की बात तो छोड़ दें महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन स्वाभिमानी और ईमानदार आइ0ए0एस0 औफिसर भी बिहार से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते थे उस जमाने में । महोदय, हमारे राज्य के नेता ने उसको आतंक का राज कहा था, लेकिन दुनिया उसे जंगल राज के नाम से जानती है । उस जंगल राज से आज हमारा बिहार बाहर आया है । यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, यह हमारी सरकार की देन है इसको नकारा नहीं जा सकता है । हमारे नेता ने जब 2005 में सत्ता संभाला तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आपकी दूसरी प्राथमिकता क्या है, आपकी तीसरी प्राथमिकता क्या है ? उन्होंने कहा था गवर्नेन्स, गवर्नेन्स ऐंड गवर्नेन्स, सुशासन, सुशासन और सुशासन । महोदय, मुझे गर्व है कि उन्होंने अपनी जो प्राथमिकता रखी उसको धरातल पर लाकर रखा । इसका मुझे गर्व है और इसी का नतीजा है कि आज बिहार में सुशासन का राज है, न्याय के साथ विकास का राज है । हमारे नेता जो आज गृह मंत्री भी हैं यह उनकी सोच है, उनकी समझ है जिसकी वजह से आज बिहार में चमचमाती पुलिस की बिल्डिंग है । सरदार पटेल भवन जो सरकार का पुलिस मुख्यालय है उसकी सुंदरता को कोई नकार नहीं सकता, किसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं हो जाता है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, दो मिनट । पहले जहां पुरूष भी बाहर नहीं निकल पाते थे वहीं आज हमारी महिला बहनें रात में बारह बजे अपनी मॉ, बहनों को स्कूटी से लेकर जाती हैं और किसी की मजाल नहीं है कि उनको छू दे । यह हमारे सुशासन का राज है । हमारी महिला बहनें खाकी वर्दी में इन्सॉस और ए0के0-47 संभालकर बिहार वासियों की सुरक्षा कर रही हैं । यह वही बिहार है महोदय ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जहां बिहारियों का सरेआम बलात्कार होता था, बिहार कहां से कहां पहुंच गया, काफी बातें हैं कहने को लेकिन मैं दो लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूॅ । मेरे पिता जी स्व0 कमलानन्द मिश्र मोतिहारी से चार बार सांसद रहे । वे भोजपुरी में कहते थे, मैं भाई मनोज यादव जैसा भोजपुरी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वे कहा करते थे जब हमलोग अपना समय बर्बाद करते थे- ''खोअल हो दिन गजर बजर में''

यानी जब आपको काम करने का मौका मिला, जब आपको जनता ने सत्ता दिया तो आपने ओका बोका तीन तलोका जनता को खिलाने का काम किया- भैंस का सिंग पकड़कर भैंस पर कैसे बैठाया जाता है वह आपने सिखाने का काम किया, आपने एस0पी0 डी0एम0 से खैनी भी बनवाया ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : आपने चीफ सेक्रेटरी को बड़ा बाबू कहकर अपमान करने का काम किया । महोदय, आज हमारा बिहार बदल गया है । हमारा बिहार अब नीतीश कुमार का बिहार है, हमारा बिहार अब नयी सदी का बिहार है जहां पर न्याय है, सुशासन है, न्याय के साथ विकास है, शांति है । मैं दो शब्द अंतिम में कहकर अपनी बात समाप्त करूॅगी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सत्तापक्ष के सदस्यों के लिए- सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये अब । माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ राम, 7 मिनट का समय है ।

श्री विश्व नाथ राम : बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय । सबसे पहले हम राजपुर की जनता का चरण स्पर्श करते हुए, अपनी पार्टी के नेताओं को भी शुभकामना धन्यवाद देते हुए । आज हमारे महागठबंधन द्वारा, विरोधी दल के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूॅ । महोदय, सात मिनट समय बचा है और सात मिनट समय में हमलोग बिहार की बातें न कहकर मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र की समस्या ही कह लेना उचित होगा । पार्टी के द्वारा जो समय हमें मिला है इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते

हैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, जब बिहार की बात होती है, विकास की बात होती है तो हमलोग सुनते हैं । बिहार के मुख्यमंत्री जी की बात तो लोग कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वही करते हैं । महोदय, हम विधायकों का अधिकार है सदन में ही बोलना और हम सदन में ही अपनी बात रखते हैं । महोदय, पूर्व में जब जाते हैं तो हमारे पिता जी जब विधायक थे तो 1993 में विधान सभा में क्वेश्चन उठाये थे कि धनसोई को प्रखंड बनाने का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन 1993 से लेकर आज तक की घटना देखा जा सकता है कि विधान सभा में सवाल उठने के बाद भी कुछ नहीं हुआ । वहीं दो-दो बार मुख्यमंत्री जाते हैं वोट लेने की बात जब आती है, जनता को ठगने की जब बात आती है तो वही धनसोई सभा में जाकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं और दो-दो बार सभा में बोले हैं कि धनसोई को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह करते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला जबकि सारी अर्हता धनसोई प्रखंड बनने की रखता है । मैंने पिछले साल भी सवाल किया था, पिछले साल सवाल का जवाब स्वीकारात्मक आया था । महोदय, जमीन की मापी हुई थी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई कि आगे उसका प्रोसेस क्या है, क्या होगा, बनेगा या नहीं बनेगा । महोदय, यह बात धनसोई की है और दूसरी बात हमारे सत्तापक्ष के लोग कह रहे थे और पुलिस प्रशासन के लिए ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों की बात करते हैं । हम जिस क्षेत्र से जीतकर आते हैं वह सुरक्षित सीट जरूर है, लेकिन राजपुर थाना अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और आज तक- माननीय सदस्या नारी शक्ति की बात कर रही थी तो नारी शक्ति पुलिस महिला तो बहाल हुई हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं कि नारियों के लिए काम हुआ, लेकिन बताइये महोदय कि राजपुर थाना में न महिलाओं के लिए, न पुरूषों के लिए शौचालय है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, रहने के लिए घर नहीं और कहा जाता है कि बहुत कुछ नया थाना महल बन गया, आखिर वह थाना कहां बना है ? जाकर देखा जा सकता है कि राजपुर थाने की स्थिति क्या है । जहां महिलाएं माताऐं जो सुरक्षा बल में हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है और कहा जाता है कि सरकार ने बहुत कुछ किया । आखिर पैसा इनको क्यों चाहिए, पैसा सरकार क्यों लेगी जब उसको खर्च नहीं करना है, थाना को बढ़िया बनाना नहीं है तो आप उस थाने से क्या उम्मीद रख सकते हैं । जब पुलिस का जवान ही हमारा सुरक्षित नहीं है तो वह मेहनत का काम कहां से करेगा । महोदय, हम अपनी बात सदन के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं इसका सरकार को पहल करके इसे उठाना है तभी हमलोग कुछ सकारात्मक भूमिका में जा पायेंगे और चुनाव की भूमिका निभा पायेंगे । लेकिन महोदय, सरकार को

बार-बार कहने पर भी मंत्री लोग सुनेंगे नहीं, हमलोग आपसे ही कह सकते हैं और आपसे हमलोगों की गुजारिश यही होगी कि कम से धनसोई को मैंने आपसे भी कहा है कि धनसोई को प्रखंड का दर्जा मिले ताकि हमारा धनसोई प्रखंड जो 19 पंचायत का हमारा राजपुर प्रखंड है उससे कटकर के धनसोई अलग प्रखंड बने । साथ ही साथ महोदय, राजपुर के पुलिस की बात हो रही थी और सुरक्षा की भी बात हो रही थी तो एक हमारे थाना में होली के दौरान ही घटना घटी है कि एक होमियोपैथिक चिकित्सक नशा के रूप में दवा की दूकान चलाता था और वह दवा हमारे ही समाज दलित समाज का परिवार था वह आंख से अंधा हो गया और साथ ही साथ अपने तीन रिश्तेदारों को बुलाया था जो कैमूर जिला के रहनेवाले थे उन तीनों जवानों की मृत्यु हो गयी, तीनों रिश्तेदार लोग शहीद हो गये ।

(क्रमशः)

टर्न-11/पुलकित/25.03.2022

श्री विश्व नाथ राम (क्रमशः) : दारू के नाम पर और बिहार सरकार के जब पुलिस अधिकारी जाते हैं तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ये दवा खाकर बीमार हुए इसका पेट खराब था इसलिए बीमार हुआ । महोदय, जब ऐसी सरकार रहेगी और पुलिस....

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री विश्व नाथ राम : महोदय, एक मिनट । हमने राजपुर थाना की पुलिस से पूछा कि आप घटना स्थल पर रजुरा ग्राम में कभी गये हैं तो उन्होंने कहा कि हम गये हैं । वहां की स्थिति देखी है ? दवा खाने से उसकी मृत्यु हो गयी । महोदय, यह सरकार केवल कागज पर चलने के लिए नहीं है । जनता के बीच उतरे, हमलोगों की यही शुभकामना है । महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं आपका शुक्रियादा करता हूं और साथ-साथ अपने विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर की महान जनता का भी शुक्रियादा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक लाख पांच हजार वोटों से अपना आशीर्वाद और दुआ देकर यहां भेजने का काम किया है । महोदय, एक मुद्दा है जो इस बहस के मुद्दे से अलग मुद्दा है । महोदय, बिहार के गरीब-गुरबों का दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, पिछड़े अल्पसंख्यक के जो महान नेता हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका इलाज रिम्स में हो रहा है और एम्स में उनको रेफर कर दिया, जो बिलकुल जेल में है और जेल में रहने वाले हमारे कैदियों को भी मानवाधिकार का अधिकार है । महोदय, उनको एम्स में भेज दिया और एम्स ने

उनको एडमिट करने से मना कर दिया और इस तरह से मैं समझता हूं कि XXX करना चाहती है । यह कभी कामयाब नहीं होगी ।

अध्यक्ष : यह गलत है, इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाये ।

(व्यवधान)

इस तरह का तथ्यहीन वक्तव्य मत रखिये । यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं मांग करता हूं इस सदन से....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सदन से निन्दा प्रस्ताव होना चाहिए, हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है । इस तानाशाह की सरकार ने और महोदय, यह बिहार, यह मॉब लिंचिंग की जमीन....

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण बैठ जाइये । माननीय सदस्य, महबूब जी बैठ जाइये । पहले सभी लोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं आपको देख रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले बैठ जाइये । सभी सदस्यगण बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, हमारी वाणी संयमित हो और सत्य के साथ वाणी में मधुरता हो ताकि सदन के अंदर उत्तेजना न फैले और अपने को चर्चा में लाने के लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कतई उचित नहीं है। यह प्रोसीडिंग का पार्ट भी नहीं बनेगा और हम आगे से निर्देशित करते हैं कि अगर इस तरह के जो बयान देंगे तो फिर माननीय सदस्य के प्रति नियमानुकूल व्यवस्था के तहत आसन को संज्ञान में लेना पड़ेगा । इसलिए आगे से, पहले सभी सदस्य बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं होना चाहिए । आप अपनी बात को सरलता के साथ, मधुरता के साथ सारे विषयों को नियमानुकूल तरीके से रख सकते हैं लेकिन इस तरह के बयान से उत्तेजना फैलाना, यह कतई उचित नहीं है । आपका समय अब बहुत कम बचा है नौ मिनट ही था, तीन मिनट बचा है । बोलिये, अपने क्षेत्र के विषय को रखिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये कानून के राज की बात करते हैं ।

अध्यक्ष : थोड़ा माईक से हटकर के बोलिये, आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ती है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार मॉब लिंचिंग की जमीन बन गई है । महोदय, देखिये कि इनके गृह जिला नालंदा में रात को हिलसा के नदहा गांव में किस तरह से एक कहार जाति के विरेश चन्द्रवंशी की हत्या कर दी गई । हत्या के बाद उसको एसिड से जला दिया गया, वह दीपक शर्मा नाम का आदमी है और जब तमाम गांव के लोगों ने उसकी लाश को लेकर के अपने मकान में लाये तो पुलिस ने इन्हीं लोगों पर दो-दो केस मुकदमा कर दिया, एक 44 पर एक 47 पर । महोदय, यह 18 तारीख की बात है, महोदय, यह गरीब लड़का था, पटना में जुगाड़ गाड़ी चलाता था । यह गांव में गया था और दीपक शर्मा ने कहा कि चलो मैं तुमको गांव से घुमाता हूं और घुमाने गया उसको लेकर गया । सरेआम, रात 10 बजे और जब 04.00 बजे वापस आया तो वह विरेश चंद्रवंशी नहीं था । इसको लेकर यह सनसनी खेज है । महोदय, इन लोगों ने राजेश नाम के एक दस वर्ष के लड़के को आसामी बनाया, भोला कुमार नाम के तीन वर्ष के बच्चे को आसामी बनाया । महोदय, नीरज कुमार नाम के दस वर्ष के बच्चे को आसामी बनाया और राजा कुमार नाम के एक सात वर्ष के बच्चे को आसामी बनाया । महोदय, सच तलख होता है। महोदय, चम्पारण में क्या हुआ ? चम्पारण में एक डी0जे0 बजाने वाला, हमलोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, कभी आप भी चढ़े होंगे । ट्रेन पर बिना टिकट चढ़ने से फाइन होता है, उसका पनिशमेंट नहीं है । आई0पी0सी0 का सेक्शन उसमें लागू नहीं होता है । महोदय, डी0जे0 जब बजा रहा था तो डी0जे0 बजाने वाले को आज भी रोजगार की कमी है । सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है । देश बेचा जा रहा है, थोक में तमाम आई0आई0टी0एन0, तमाम पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं है । वह डी0जे0 बजा रहा था, तो उसको पकड़कर लाये और उसको थाना में पीट-पीटकर मार दिया । थाना में पीट-पीटकर कर मार दिया और जब उत्तेजना फैली, उत्तेजना की आग को हवा किसने दी । महोदय, फिर मैं बात करूंगा तो कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी । वह बजरंग दल के लोग थे, जिन लोगों ने जनता के आक्रोश को हवा दी, जो नतीजा आपके सामने है । महोदय, हमलोग देखते हैं, बिहार की कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है । महोदय, हम देखते हैं जन्दाहा में, हमारी एक महिला बहन बोल रही थी कि रात के अंधेरे में हमारी महिला चल सकती है । महोदय, जन्दाहा में आपने देखा एक दलित लड़की का अपहरण करके, उसका बलात्कार करके, उसका रेप करके मार दिया गया और उस दलित बाप को थाना में जाने की हिम्मत नहीं हुई । महोदय, आज थाना की यह हालत है, प्रशासन की यह हालत है कि थाना पर से आम, गरीब जनता का भरोसा उठ गया, टूट गया । वह उसी दरिंदे के बाप के पास गया, गिड़गिड़ाने लगा कि बापू, माई बाप मेरी लड़की का जो हुआ सो हुआ मुझे मेरी लड़की वापस दे दीजिये और उन्होंने कहा कि जा-रे-जा, कल तुमको लड़की मिल जायेगी ।

महोदय, लड़की की लाश मिली । ये बिहार की तस्वीर है, बिहार की तस्वीर आपने सीतामढ़ी में देखी । कहीं खलील रिजवी को जिंदा जला दिया गया, कहीं नालंदा में जिंदा जला दिया जाता है तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया और वहां पुलिस की पिटाई से मरता है तो कहते हैं कि मधुमक्खी के काटने से मर गया और जब होली में 40-40 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गयी तो ये कहते हैं कि लोग बीमारी से मर रहे हैं । हमारा तो सुशासन का राज है, अपनी पीठ थपथपाते रहिये ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री महबूब आलम : जनता माफ नहीं करेगी ।

''जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है,
खून तो खून है टपकेगा तो जम जायेगा ।''

महोदय इसी बात के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा जो मानवाधिकार है इसका जो हनन हो रहा है इसके रख-रखाव में.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, लालू यादव के साथ जो व्यवहार हो रहा है....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । श्री अखतरूल ईमान ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं मांग करता हूं । इन तमाम चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है...

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान । अनुपस्थित । माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हूं । महोदय, जुल्म करने के लिए, जनता पर अत्याचार करने के लिए मैं पक्ष में नहीं हूं ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य, श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय, हम आभार व्यक्त करेंगे यदि आप हमें हिन्दी के अलावा मगही में बोलने का आदेश देते हैं, आपका आदेश है ?

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये सभी का सम्मान है ।

XXX- आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

टर्न-12/अभिनीत/25.03.2022

(मगही भाषा का हिन्दी अनुवाद)

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया । महोदय, आज के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के लिए सम्मिलित अनुदान की मांग खंड- 11 में गृह विभाग, सामान्य

प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल विभाग और निगरानी विभाग का बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं, दिल से समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं । महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि बात सही है यदि लोगों को दिखता नहीं है तो अलग बात है लेकिन नीतीश कुमार जी के कुछ काम ऐसे हैं जिसे इतिहास के पन्नों में याद किया जायेगा । लोग जो भी सोचते हों लेकिन एक चीज मेरे दिल में जरूर चुभती है और वह बात यह है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और जब महिला दिवस मनाया गया तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को साइकिल देकर, पोशाक देकर पढ़ाने की व्यवस्था की, नारी सशक्तिकरण के संबंध में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है और इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं । मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि 2014-15 में एक निर्णय हुआ था कि बच्चा क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक बच्चियों को फ्री एजुकेशन दिया जाय और आज स्थिति यह है कि जहां फ्री एजुकेशन स्कूल में, कॉलेज में दिया जा रहा है उसको पांच-पांच वर्ष से, चार-चार वर्ष से क्षतिपूर्ति पैसा नहीं मिल रहा है जिसके कारण काफी दिक्कत हो रही है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति से सुनिये ।

श्री जीतन राम मांझी : इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम आपने किया है । महोदय, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इनलोगों को ताली पीटने की नौबत आ जाती है । हम तो कहते हैं कि इसको तो पूर्णरूपेण फ्री कर दिया जाय ताकि सभी बच्चियां खुले रूप से पढ़े । महोदय, जब महिलाओं की बात आती है तो एक बात और आती है कि जेनरल कैटेगरी में तो ठीक है सभी को खाने-पीने को अच्छा मिलता है, बच्चियां भी लंबी हो जाती हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा की बच्चियों के खाने की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है इस वजह से उनकी बच्चियां छोटी-छोटी होती हैं । नतीजा यह होता है, सिपाही भर्ती की बात जो अभी आयी है तो 155 सेंटीमीटर कहा जाता है । 155 सेंटीमीटर में शिड्यूल कास्ट, आदिवासी और अति पिछड़ा की लड़कियां छट जा रही हैं । इस वजह से हम अनुरोध करते हैं गृह विभाग से और बिहार सरकार से कि, हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि पहले था 165 सेंटीमीटर उसे उन्होंने मेरे कहने पर 160 सेंटीमीटर किया, फिर 155 सेंटीमीटर हुआ और हम आज फिर कहेंगे कि उसी बात को दोहराइये मुख्यमंत्री जी और इन बच्चियों को लिए 152 सेंटीमीटर रखिए ताकि गरीब की बच्चियां भी सिपाही में बहाल हो जाय । इसके बाद महोदय, हमने इससे पहले भी एक बार कहा था जिसे आज हम दोहरा रहे हैं और दोहराने की बात इसलिए है

हुजूर कि भूदान में, सिलिंग में और बिहार सरकार का जो जमीन का पर्चा मिला था लाखों-लाख पर्चाधारी का उस जमीन पर कब्जा नहीं है । एक अभियान चलाकर यह काम किया जाय तो हम समझते हैं कि लाखों-लाख गरीब, पर्चा किसे मिला है ? जाहिर है शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा गरीबों को मिला है, तो उसके संरक्षण के लिए एक अभियान चलाकर यह काम करना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं महोदय । महोदय, दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, इसे भी हमने पहले कहा था कि पांच डेसीमल जमीन दे दीजिए और एक एकड़ जमीन दे दीजिए खेती के लिए खरीद कर, तो बिहार में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसे घर नहीं होगा और उसको खेतीबाड़ी का अभाव होगा । यह काम भी हो जाय तो बहुत अच्छा काम होगा यही हम आज कहना चाहते हैं । महोदय, इसके बाद मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जिसे सुनकर शायद पूरा सभासद भी आश्चर्यचकित होगा । मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा तो नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है कि 1932 में पूणा पैक्ट का एक मसौदा आया था, उस मसौदा के संबंध में बाबा अम्बेदकर ने कहा था कि 'विकास एक ताला है और राजनीति एक चाभी है', तो राजनीति को चाभी देने के लिए बाबा ने कहा था कि डबल मतदाता सूची का प्रावधान किया जाय लेकिन वह प्रावधान नहीं हुआ जिसके चलते आज दिक्कत हो रही है कि आज आरक्षण है । महोदय, आरक्षण में हम नहीं कहना चाहते हैं, यह सामाजिक विडंबना है कि आरक्षित वर्ग के लोग कितने भी तेज-तर्रार हों, चाहे मंत्री हों, अफसर हों सभी यह कहते हैं कि आखिर रिजर्वेशन कोटे से ही आये हो न, हम यह सोचते हैं कि यह हमारे प्रति अपमानित बात है । यह छूट सकता है तब जब डबल मतदाता सूची बनने लगेगी, जैसे एम0एल0सी0 में होता है । एम0एल0सी0 में टीचर कान्स्टिचूएंसी में टीचर ही वोट देते हैं और टीचर को ही वोट देते हैं उसी तरह नगर निकाय में नगर निकाय के ही लोग खड़े होते हैं और वही लोग वोट देते हैं, उसी तरह शिड्यूल कास्ट कान्स्टिचूएंसी में शिड्यूल कास्ट को ही वोट देंगे तो क्या अनर्थ हो जायेगा । इससे यह होगा कि आज जो शिड्यूल कास्ट के एम0एल0ए0 होते है, एम0पी0 होते हैं कोई काम करते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है जिसके चलते वे शिड्यूल कास्ट का विकास नहीं करते हैं । मैं मानता हूं कि यह यहां का विषय नहीं है लेकिन मैं पूरे सदन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह प्रस्ताव सरकार लाये और इसे एकमत से पास करके भेज दीजिए ताकि भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे और हमलोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, यह हम कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : एक मिनट महोदय । दूसरी बात, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण नियम है, बहुत ही अच्छा है । कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट में आगे-पीछे हुआ तो आप देखे होंगे कि समूचे हिन्दुस्तान के दलित एक पैर पर खड़े हो गये थे, उसको जो अभी बात हो रही है वह तो हो गया, पार्लियामेंट ने फिर से उसको पास किया लेकिन एक नया प्रबंध यहां पर था हुजूर, प्रबंध यह था कि एस0पी0 रैंक के पदाधिकारी होते थे खासकर एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को देखने वाले वह समाप्त हो गया है । हम गृह मंत्रीजी से, मुख्यमंत्रीजी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि फिर से शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट को देखें और विशेष परिस्थति में..

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : आरक्षी अधीक्षक की नियुक्ति की जाय । बस थोड़ा सा और, हम तो ऐसे भी कम बोलते हैं, इसके बाद बोलेंगे ही नहीं, इसलिए एक-दो मिनट और मौका दे दीजिए । महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि अभी हाल में इन्होंने जातीय जनगणना की बात कही, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना में जो कॉलम है उस कॉलम में मगही, बजिका, अंगिका और भोजपुरी को शायद जगह नहीं मिला है । इन चारों भाषाओं को भी जनगणना के कॉलम में स्थान मिलनी चाहिए, यह मैं आज निवेदन करना चाहता हूं । दूसरी बात, अभी बहुत खुशी हुई थी, हम धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में लाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है । हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमारी मगही है, बजिका है, अंगिका है को भी आठवीं सूची में जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव यहां से भेज दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा, यह हम कहना चाहते हैं । इसी तरह से और भी कुछ बातें हम कहना चाहते हैं, ऐसा हुआ है, गृह विभाग का मामला आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं प्रखंड में कि प्रखंड मुख्यालय से जो पंचायत है उसकी दूरी 50 किलोमीटर पड़ती है लेकिन बगल में प्रखंड है उसमें नहीं जाता है । सब उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, इसे दे दूंगा जिसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना देंगे, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं । पटना जिला में एक इमामगंज गांव है जो अरवल रोड में पड़ता है, यहां से 50-60 किलोमीटर दूर है । यह गांव पटना जिला में है और उसके तीनों तरफ अरवल और जहानाबाद है, तो मेरे कहने का मतलब है कि वह अगर अरवल जिला में चला जायेगा तो निश्चित रूप से सबको सुविधा मिलेगी । उसी तरह से कई एक काम इसमें मैंने बताया है लेकिन उसको कहने में समय लगेगा, इस वजह से उन सबके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं । महोदय, बस एक मिनट और चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए । महोदय, जो असंगठित मजदूर हैं, असंगठित मजदूर जो गांव-देहात में काम

करते हैं उसका कोई संगठन नहीं है । वे मर जाते हैं, या कोई आकस्मिक परिस्थिति आती है तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इस वजह से हम अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र भवन से कि सरकार एक कानून बना दे कि असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करावे और बेरोजगार मजदूर जिनकी काम-धाम की व्यवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था करे और आकस्मिक परिस्थिति आने पर उसको मुफ्त सहायता और ऋण दिया जाय, यह मैं कहना चाहता हूं महोदय । दूसरी बात, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि बिहार राज्य के चौकीदार और दफादार बहुत ही नीचे तबके के लोग होते हैं और बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, उनके लिए बहुत तरह का प्रदर्शन वगैरह हुआ था । कल हम गये थे तो वे प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बहुत सी मांगें हैं ।

-क्रमशः-

टर्न-13/हेमन्त/25.03.2022

श्री जीतन राम मांझी(क्रमशः) : लेकिन एक मांग बड़ी अच्छी लगी कि 2014 के बाद जो रिटायर हुए थे उनको हर तरह की सुविधा दी जाती है, लेकिन 2014 के पहले...

अध्यक्ष : आसन की मजबूरी है, समय से बंधा है ।

श्री जीतन राम मांझी : उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है । हम कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी व्यवस्था की जाय और अंत में यही कहूंगा कि विकासमित्र, टोलासेवक, तालीमी मरकज ये सब बड़ा नेक काम करते हैं समाज में, लेकिन स्थिति यह है कि उनका पे या उनका भविष्य दिक्कत में है जिससे वह बड़ी असमंजस में हैं । इस वजह से हम आग्रह करेंगे सरकार से कि विकासमित्र हैं, टोलासेवक हैं, तालीमी मरकज हैं उनको वेतन दिया जाय, वेतनमान दिया जाय और उनको स्थायी कर दिया जाय तो बड़ी सुविधा की बात होगी । महोदय, आपने समय दिया अगर आपका आदेश हो तो हम दे देते हैं इसको पार्ट बनवा दिया जाय और आपने समय दिया इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और खासकर मगही में बोलने के लिए, हम समझते हैं कि इस भवन में मगही में आज तक कोई नहीं बोला, मगही के लोग जानते ही नहीं थे । इस वजह से आपने जो इजाजत दी इसके लिए हम अपने को यह समझते हैं कि ऐतिहासिक पुरुष की आपने संज्ञा दी है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । मगधी और मगध साम्राज्य, मिथिला के वाद की मिठास को आपने सदन को जो अपनी वाणी से, मधुरता से सुशोभित किया इसके लिए पुनः धन्यवाद और आग्रह करेंगे माननीय सदस्य कि समय से आसन बंधा है । कोई माननीय सदस्य, पुराने सदस्य या कोई सदस्य कुछ समय ज्यादा लेते हैं, तो किसी में कटौती होती है, तो उसको

आप नजरअंदाज करेंगे और यह भी आग्रह करेंगे कि गागर में सागर भरना है । अंधेरे को हटाने में अपना समय बर्बाद न करें, नये दीये जलाकर प्रकाश की चर्चा कर नये विकास के लिए कदम बढ़ायें ।

श्री अखतरूल ईमान । चार मिनट का समय है । गागर में सागर भरना है ।

श्री अखतरूल ईमान : ईमान हूं सर मैं ईमान । न है लास्ट में ।

अध्यक्ष : ईमान । ईमान ही तो कहते हैं, ईमाम नहीं कहते हैं ।

श्री अखतरूल ईमान : ईमाम भी कुछ लोग सुन लेते हैं सर ।

अध्यक्ष : तो थोड़ा सा..

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का आपने अवसर दिया है । महोदय, सरकार जो चल रही है, वह सरकार चल रही है अपने दावे के साथ, न्याय के साथ विकास और कानून का राज । ये लफ्ज इतने सुंदर हैं कि बार-बार इसे सुनने को जी चाहता है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस लफ्ज को सरकार बोलने में अब खुद ही शर्मा रही है । मैं गवाह हूं इस बात का कि 2005 से लेकर 2010 तक ये शब्द बड़े अच्छे लगते थे । वाकई कानून के राज को स्थापित करने में सरकार ने कामयाबी हासिल की थी । चोर, डाकू और लुटेरों पर भय था और कानून का राज स्थापित होने की ओर राज्य अग्रसर था । लेकिन न जाने 2010 के बाद सरकार को कौन-सी बीमारी लग गयी है कि चोर, डाकुओं का सीना चौड़ा हो गया है । पटना जैसे शहर में दिन में गोलियां चलायी जाती हैं और जेवरों की दुकानों को लूटा जा रहा है और दलित की बेटी को अगवा किया जाता है और ये मनबढु लोग समाज के और जब उनसे कहा जाता है कि मेरी बेटी को लौटा दो, तो पुलिस पंगु बनी हुई रहती है और दबंग लोग कहते हैं कि दो दिन के बाद तुम्हारी बेटी लौटा दी जायेगी, यह है राज्य का शासन । जरा शर्म होनी चाहिए हमको । मैं इस वक्त आपने कहना चाह रहा हूं कि सरकार की नीयत सही नहीं है । सरकार अगर वाकई लॉ एण्ड ऑर्डर को सही तौर पर स्थापित करना चाहती है, तो प्रशासनिक सुधार का काम इसने अभी तक नहीं किया है । कहीं 25 पंचायत पर एक ब्लॉक है, कहीं पांच पंचायत पर एक ब्लॉक है, कहीं 25 पंचायत पर एक जिला है, कहीं 7 पंचायत पर एक जिला है, कैसे होगा इससे काम ? नतीजा यह हुआ है कि आज तक नहीं किया गया है । मेरे पास समय कम है, मैं सरकार से मुतालबा करना चाहता हूं कि सीमांचल का क्षेत्र सबसे पिछड़ा है । वहां पर बहुत दिनों से एक मांग है कि वहां पर अनुमंडल बनाया जाय बहादुरगंज को, वहां पर ताहरकट्टा को, वहां पर छतरगांछ को, पौआखाली को, हल्दीघोड़ा को, हजरतगंज कनियाबाड़ी को, बारहईदगाह को, मजगवां को, वहां पर अलग-अलग प्रखंड स्थापित किये जायं और जहां

बीच नदी के कटाव के नतीजतन पुलिस जहां नहीं जा पाती है, वहां पर पुलिस की चौकियां स्थापित की जायं । बौलान में और बारहईदगाह में अमौर के, बहुत दिनों से मामला है । महोदय, वहां पर यह नहीं कराया जा रहा है । मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये काम वहां पर कराये जायं । महोदय, राज्य की स्थिति इस कदर..

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : बिल्कुल-बिल्कुल सर आपके आदेश का पालन करूंगा । लेकिन आपसे जरा-सी आशा भी रखता हूं कि मेरा समय तो खुद ही कम है, अल्पावधि है, उसमें क्या काटियेगा सर, उन लोगों का समय काटियेगा । मामला यह है महोदय कि मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं...

अध्यक्ष : काटेंगे नहीं लेकिन बढ़ने भी नहीं देंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : हां, ठीक है महोदय । महोदय, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं वह यह है कि पुलिस को फ्रैंडली होना चाहिए लेकिन आज हमारे यहां पुलिस का इतना भय है कि चोर, डाकुओं पर भय नहीं है, पूरी पुलिस लगा दी गयी है बालू और दारू में । जिनके यहां डकैती होती है रात को, अपना जेवर देकर डकैत से तो वह जान छुड़ा लेता है, लेकिन डकैती की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना जाने में डाकुओं से ज्यादा पुलिस को देखकर डर लगने लगा है । यह कौन-सी स्थिति है ? महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दरोगा ने मुदीन नाम के एक शख्स को पिछले मई के महीने में तीन दिन तक लॉकअप में बंद रखा बगैर किसी मुकदमे के और महोदय, उसकी शिकायत की गयी, लेकिन आज तक दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई । दरोगा पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि दबंग राजनेता लोग उसके रिश्तेदार हैं, बड़े लोगों से उसकी रिश्तेदारी है । इसके मायने ये हैं कि राजनीति छत्रछाया अगर मिल जाय, बड़े अफसरों की छत्रछाया अगर लूट के लिए मिल जाय, तो इस देश की जनता को अंग्रेज के जमाने में जो प्रताड़ना हो रही थी, वही प्रताड़ना अगर आजादी में हो, तो फिर हमारी आजादी की सौगात कहां छुप जायेगी महोदय । यह विनती करता हूं महोदय । यह मेरा मामला नहीं है, पूरा सदन खामोशी के साथ इस बात का समर्थन कर रहा है कि आज पुलिस का करेक्टर, आप जांच करवा लीजिए महोदय कि पुलिस का जो करेक्टर है आज के दिन में कितने भय का है । मैंने पहली बार में आकर कहा था कि पुलिस की स्थिति, थाने की स्थिति आज ऐसी है कि आपके 90 परसेंट जो एम0एल0ए0 हैं, वह दरोगा से बात करने में घबराते हैं, इज्जत बचा कर चलते हैं, कट कर चलते हैं । यह कैसी स्थिति है महोदय ? महोदय, जब हम जनता की पीड़ा को उन तक न पहुंचा सकें, तो फिर हमारा आना किस काम

का है । मैं समझता हूं कि ये जनता को धोखा देंगे और यकीनन सरकार अच्छा काम कर रही है...

अध्यक्ष : अब खत्म करिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं कर रहा हूं । सरकार अच्छा काम कर रही है...

अध्यक्ष : भाव आ गया आपका ।

श्री अखतरूल ईमान : हम साधुवाद देना चाहते हैं महोदय कि सरकार अच्छा काम करे । लेकिन जनता की पीड़ा को अगर सरकार न सुन सके, तो मरे हुए बकरी की खाल से लोहा भी भस्म हो जाता है सर । इसीलिए गरीबों की आह से बचाते हुए पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक सुधार की ओर तवज्जो देने के लिए आप हुकूमत को तंबीह करेंगे, यह मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद रखता हूं । आपने समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्ष : डॉ0 सत्येन्द्र यादव । दो मिनट ।

(व्यवधान)

सुन लीजिए, उनका दो मिनट का समय है, उनका समय डिस्टर्ब मत करिये ।

दो मिनट घड़ी देखकर ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : महोदय, गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं । बहस चल रही है, पुलिस की कार्यशैली पर भी कई साथियों ने सवाल उठाया है । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार-बार यह दावा करते हैं कि हमारी पुलिस पीपुल्स फ्रैंडली है और पीपुल्स फ्रैंडली का नतीजा यह है कि थानेदार के पास कोई आम आवाम अगर जाय, तो गाली के सिवा कुछ नहीं मिलता । गांव से गरीब पिटकर जाता है एफ0आई0आर0 करने के लिए तो गाली, सुपरवाईज करने के लिए जाता है तो गाली और गिरफ्तारी नहीं होती है तब भी बात करने के लिए जाता है तो गाली । ऐसी स्थिति में आम जनता, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, उन्होंने थाना पर आना-जाना इसलिए छोड़ दिया कि थानेदार कब प्रतिष्ठा लूट लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है । यही है पुलिस पब्लिक फ्रैंडली पुलिस । जहां तक फ्रैंडली की बात होती है, थाने में चले जाइये कहीं थाने में पब्लिक को बैठने के लिए कोई प्लेस नहीं बनाया गया है । पब्लिक जमीन पर बैठती है और थानेदार की जो अकड़ होती है वह किसी से छिपी नहीं है । माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अब तो यह नौबत आ गयी कि अब कोई विधायक थानेदार को फोन करता है, तो थानेदार प्रोटोकोल के आधार पर नमस्कार भी नहीं करता है, सीधे-सीधे जो पुलिसिया भाषा है उससे विधायक जी को भी नवाजने का काम करता है और इसीलिए...

(व्यवधान)

सुना जाय ।

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ । बैठ जाइये ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : हमारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वह कहीं-न-कहीं पुलिस को प्रोटेक्ट करते हैं और ये पुलिस के लोग अपराधी, माफियाओं और सामंतों को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं जिसके चलते आज आम आवाम का भरोसा पुलिस से उठ गया है । मैं कहना चाहता हूं सारण जिला के सिताब दियरा, मैंने कई बार वहां के एस0पी0 और कलेक्टर को फोन किया । बालू का सरेआम कारोबार हो रहा है । (क्रमशः)

टर्न-14/धिरेन्द्र/25.03.2022

क्रमशः ....

डॉ॰ सत्येन्द्र यादव : महोदय, बिहार का बालू प्रतिदिन करोड़ों रुपये का बालू उत्तर प्रदेश के अंदर चला जाता है सिताब दियरा के माध्यम से । मैंने कहा, पुलिस ने कहा कि हमारे पास रोड पुलिस बल नहीं है, हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन दारू और बालू पास कराने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है ...

अध्यक्ष : ठीक है । अब समाप्त कर लीजिये ।

डॉ॰ सत्येन्द्र यादव : महोदय, करोड़ों रुपये की लूट होती है, घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, यही पुलिस की च्वाइस है....

अध्यक्ष : अब समाप्त कर लीजिये ।

डॉ॰ सत्येन्द्र यादव : इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुर्यकान्त पासवान । दो मिनट ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, बिहार सरकार शराबबंदी कानून लागू करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण वर्ष 2021 में 13 अलग-अलग घटनाओं में 66 लोगों की जान गयी है, इस साल भी 36 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और कई मामलों में तो प्रशासन घटना की लीपापोती कर दबाने में लगी रहती है । एक तरफ सरकार बिहार में पूर्ण शराबबंदी की दावा करती है, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय समाज सुधार यात्रा करते हैं । महोदय, दूसरी तरफ सरकार की पुलिस के संरक्षण में शराब का धंधा काफी फल-फूल रहा है, यह धंधा अवैध कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है । महोदय, पुलिस और शराब माफियाओं की इस हद तक बढ़ चुकी है कि इनके खिलाफ बोलने वाले को फर्जी मुकदमों में जेल जाना पड़ता है। महोदय, उदाहरण हमारे सामने है, बेगूसराय जिला के पहसारा पूर्वी पंचायत के सरपंच संजीव यादव ने अवैध शराब के धंधे का जब विरोध

किया तो शराब माफियाओं ने पुलिस से सांठ-गांठ कर संजीव यादव के घर के पीछे शराब रख कर उल्टे उसे ही फंसा दिया । महोदय, एक जन-प्रतिनिधि के साथ हुई उस घटना की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाय । महोदय, बेगूसराय के बखरी अनुमंडल में पिछले 60 वर्षों से भूमि उप-समाहर्ता का पद रिक्त है जिसके कारण आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कर लीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, बखरी अनुमंडल में भूमि उप-समाहर्ता को प्रतिनियुक्त किया जाय ....

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पर्यटक क्षेत्र....

अध्यक्ष : आपका चार मिनट का समय है, गागर में सागर भरिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, चार ही मिनट में समाप्त कर देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है और समय हमको कम मिला है । इसलिए लखीसराय जिला के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ । एक चानन थाना है वहां के प्रभारी जो हैं आज, वे चार साल से हैं और बगल में किऊल नदी है और किऊल नदी से चार साल में करोड़ों रुपये की वे कमाई कर चुके हैं । अब थाना जाने के बाद, आम पब्लिक थाना में जाता है तो गाली से बात होती है । 03.02.2022 को बगल में जो टेंडर लिया है, घाट चल रहा है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति(श्री प्रेम कुमार) ने आसन ग्रहण किया)

वाजिब चालान के साथ आठ ट्रैक्टर जा रहा था, जबरदस्ती उन आठ ट्रैक्टरों को पकड़ कर थाना ले जाते हैं, उसके बाद हमलोग एस0पी0 और डी0एस0पी0 को बोलते हैं कि यह अन्याय हो रहा है, इस तरह का जब वाजिब चालान है, चालान पर ट्रैक्टर जा रहा है तो क्यों इस तरह से अन्याय हो रहा है । उन्होंने कहा कि भेज दीजिये उसको थाना तो काम हो जायेगा, जब थाना में वे लोग गये, थाना में गाली-गलौज किया और मारपीट भी किया, ऊपर से केस भी कर दिया । उसका प्रमाण मेरे पास है, वह जो है उसका प्रमाण है । इसी 09.02.2022 को एक हलसी थाना की घटना है गांव में मामूली झंझट हुआ था और उस झंझट को छोड़, उस झंझट में क्या किया गया कि बिना किसी कारण के पश्चिमी गिद्दा में जाकर घर का दरवाजा तोड़कर और उसके बाद अंदर जाकर बहु-बेटी को गाली-गलौज और बुरी तरह से पिटाई कर दी तो यह स्थिति है सुशासन की । यह

स्थिति है, बताते हैं हम थाना की कहानी और ज्यादा बताना चाहते हैं कि किसी थाने में अगर फोन लगाकर बात किया जाय तो लगता है कि थानेदार को परिचय देने के बाद भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन आदमी से बात हो रहा है, यह स्थिति बनाये हुए हैं तो सवाल है कि जब एम0एल0ए0 की जो स्थिति बनी हुई है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही खराब स्थिति है और आसन के साथ थाना ने क्या किया, वह तो भाई ललित जी बोल चुके हैं, उसमें हम बोलना नहीं चाहते हैं । आप अंचल चले जाइये, आप जिला चले जाइये, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है । अब सचिवालय की बात करते हैं, किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए जाइये तो कहने के लिए व्यावहारिक है कि एम0एल0ए0 जायेंगे, माननीय जायेंगे तो उनसे इज्जत के साथ बात करेंगे लेकिन क्या स्थिति होती है, लगता है कि हमलोग साधारण आदमी हैं जैसा व्यवहार ये लोग सचिवालय में करते हैं, यह स्थिति बनी हुई है तो हम सुशासन की बात करते हैं, कहां सुशासन है, कहां सुशासन है । आपके लखीसराय का ही उदाहरण देना चाहता हूँ झिनौरा गांव के तेतार्हत थाना की बात है एक लड़की को दो दिन घर में रख कर बलात्कार किया गया, आज सालभर हो गये लेकिन उस अभियुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सिर्फ एफ0आई0आर0 कर के रह गया है । यह स्थिति है और हमारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां होता है क्या, नक्सल जो वाजिब है उसको तो इन लोगों को पकड़ने की हिम्मत नहीं है, नहीं हिम्मत है लेकिन खानापूर्ति के लिए सैंकड़ों निर्दोष आदिवासी को नक्सल के नाम पर केस कर जेल में डालने का काम करते हैं । यही सुशासन है, यही सबसे बड़ा सुशासन है, यह स्थिति है तो निश्चित रूप से सब मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि सुशासन बाबू हैं, हम न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं । फंसाते हैं ज्यादा और बचाते हैं कहां, जो विपक्ष के लोग हैं... .

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय पूरा हो गया, कृपया बैठ जायं ।

श्री प्रहलाद यादव : जो सत्ता पक्ष के विपरीत हैं वैसे लोगों को आप फंसाने का ही काम करते हैं, बचाने का काम नहीं करते हैं और जो पैरवी होता है, वह पैरवी नीचे से नहीं ऊपर से रहता है और लिखित रूप से.....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया समाप्त करें । आपका समय हो गया है ।

श्री प्रहलाद यादव : सरकार की जो खामियां हैं उसके विरोध में आवाज नहीं उठाये, इसके लिए हर वर्ष प्रयास किया जाता है । इसलिए माननीय सभापति जी इस बात पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो वाजिब है हम लोग गलत पैरवी करने के लिए भी नहीं जाते हैं, डी0जी0पी0 साहब बैठे हुए हैं दो बार आपके यहां गये हैं और...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रह्लाद यादव : इस संबंध में आपको जाँच के लिए दिये थे लेकिन आप जाँच नहीं किये हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जाइये ।

श्री प्रह्लाद यादव : आप जाँच नहीं किये हैं इसलिए आपसे आग्रह होगा कि ....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश यादव जी ।

श्री प्रह्लाद यादव : निश्चित रूप से जिस बिन्दु पर हमने बात रखी है, उसका निश्चित रूप से जाँच करवाइये....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश यादव जी।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय सभापति महोदय, आज गृह विभाग के बजट के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपने इस सदन में मुझे आज पहली दफा बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ । मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने दल के मुख्य सचेतक श्री जनक जी के प्रति भी कि उन्होंने हमें बोलने के लिए समय आवंटित किया है और मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने क्षेत्र के उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में पहली दफा चुन कर भेजा है । महोदय, मैं विगत तीन दशक से अधिक समय तक पुलिस विभाग में निष्ठापूर्वक सेवा किया हूँ । इसलिए मुझे पुलिस की हकीकत जमीनी स्तर पर मालूम है । उनकी वास्तविकता, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य क्षमता और उनकी कठिनाई एवं परेशानियों की भी मुझे काफी परख है । महोदय, हम सभी अपराध की चर्चा करते हैं, अपराधरहित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है । महोदय, अपराध रामायण काल में भी हुए थे, महाभारत काल में भी हुए हैं और हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनके कालखंडों में भी अपराध हुए हैं ।

क्रमशः ....

टर्न-15/संगीता/25.03.2022

(क्रमशः)

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, अपराध आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे । सुन लीजिए महोदय, अपराध का जुड़ाव सीधे तौर पर मानव मन की प्रवृति से है महोदय और मानव मन की प्रवृति पर प्रशासन का कदापि अधिकार नहीं हो सकता है, कदापि पकड़ नहीं हो सकता है इसीलिए अपराध की बात नहीं करें हम, महत्वपूर्ण महोदय अपराध नहीं है महत्वपूर्ण है अपराध के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई महत्वपूर्ण है । अपराध के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई कि नहीं यह महत्वपूर्ण है महोदय और पुलिस घटनास्थल पर कब पहुंचती है, पहुंची की नहीं, अपराधी पकड़े गए कि नहीं, अगर

अपराधी पकड़े गए तो क्या हमारे और आपके जैसे लोगों के टेलीफोन पर अपराधी छोड़े तो नहीं गए, सलाखों के भीतर गए कि नहीं और अपराधी अगर सलाखों के भीतर गए तो सलाखों के भीतर रहकर भी अपराध कर रहे हैं कि नहीं इसे भी देखने की जरूरत है महोदय और अपराधी सलाखों के भीतर गए तो उन्हें कोर्ट द्वारा सजा मिली कि नहीं इस बात पर भी निर्भर करता है महोदय और निश्चित रूप से जब कोर्ट से भी आते हैं अपराधी तो उस पर भी निगरानी रखने की जरूरत है और ये सारे कार्य महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब शासन में आए, सत्ता में आए इस बार आए तो हम सब देख रहे हैं महोदय हमारे विपक्षी साथियों के कालखंडों में क्या हुआ करता था, उस काल खंडों में आप हम सब जानते हैं कि अपराधी आग्नेयास्त्र को लेकर खुलेआम घूमते थे, महोदय जो बाहुबली अपराधी होते थे वे केवल काफिलाओं के साथ, एक नहीं अनेकों गाड़ी के काफिलाओं के साथ अस्त्र-शस्त्र के साथ घूमा करते थे और महोदय पुलिस मूकदर्शक इसलिए रहती थी कि उसपर राजनीतिक दबाव रहता था । यह कालखंड हमने भी देखा है और आज के कालखंडों में जब से सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है महोदय तब से पुलिस के कार्यकलापों में परिवर्तन हुआ है और त्वरित कार्रवाई हुई है इसीलिए हम देखते हैं, हम आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहते हैं महोदय कि 2005 के पूर्व 2004 में उस वक्त अपहरण का कांड जो हो रहा था, फिरौती के लिए अपहरण जो एक बहुत बड़ा भीषण कांड है, उसमें 2004 का आंकड़ा अगर हम देखें तो 411 कांड प्रतिवेदित हुआ था 2004 में और जैसे ही सरकार नीतीश जी की बनी 2005 में तो आप देखेंगे 2006 में 194 कांड गिरकर आ गया और उत्तरोत्तर घटते हुए आज की स्थिति में यह कांड की संख्या 37 है महोदय तो इस तरह से उत्तरोत्तर कांड घटते आया और पुलिस ने कार्रवाई की । यही स्थिति डकैती की भी है और अन्य सभी हैंडों की यही स्थिति है महोदय और उस काल में सबसे बड़ा अपराध जो होता था आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध पर किसी ने आज तक कोई चिन्ता नहीं किया महोदय और चिन्ता भी कैसे करते महोदय, उस कालखंड में जो हमारे साथी सत्ता में थे वे स्वयं इस अपराध में लगे हुए थे महोदय तो इस कालखंड की बात मैं करता हूं जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हुए तो उन्होंने आर्थिक अपराध पर भी अपना ध्यान एकत्रित किए और एक-एक को चिन्हित करके, आर्थिक अपराध में एक-एक को चिन्हित करके 01.12.2011 को आर्थिक अपराध इकाई का गठन किए और आर्थिक अपराध इकाई के गठन के बाद ऐसे अपराधकर्मियों को चिन्हित करके उनपर कार्रवाई करके सलाखों के भीतर भेजा गया है महोदय और आर्थिक अपराध में ऐसे जो चोरी हुई, हत्या हुई, डकैती हुई, अपहरण हुआ, तस्करी हुआ, मादक द्रव्यों की तस्करी हुई,

इन सबसे जो पैसे अर्जित किए, जो आर्थिक अपराध में अवैध संपत्ति अर्जित किए ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ और उन्होंने जब्त भी किया । महोदय, मैं अगर आंकड़ा बताने लगूं कि कितना जब्त हुआ तो मेरा समय ही पास हो जाएगा महोदय । मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा लेकिन बहुत सारे काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है । आंकड़ों में अगर मैं शॉर्ट में जाऊं तो अब तक कुल 2821 में 28 अभियुक्तों की 45.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है महोदय और 3.222 करोड़ की जब्ती हेतु 161 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पी0एम0एल0 एक्ट के तहत भेजा गया है तो इस तरह से ढ़ेर सारे काम अभी अवैध बालू उत्खनन के मामले में हमारे पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी दोषी थे, उन सबों के लिए एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है और 12 ऐसे पदाधिकारियों के विरूद्ध कांड दर्ज करके उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है महोदय । बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट, 2009 के प्रावधान के तहत 25 भ्रष्ट लोकसेवकों के 55.65 करोड़ की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई है महोदय और भ्रष्ट लोकसेवकों द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में कुल 11 कांडों में 12 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है जिसमें से 4 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सजाएं भी सुनायी गई हैं महोदय और एक सरकारी पदों के दुरुपयोग के लिए कुल 14 कांड दर्ज किए गए जिनमें से 8 कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है महोदय । इस तरह हमारी सरकार की नजर हर विभाग पर और हर काम पर होती है महोदय और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल किया गया महोदय यह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन में इस तरह की व्यवस्था हुई और वर्ष 2021 में हम बताना चाहेंगे कि 1557 कांडों में स्पीडी ट्रायल करके 2631 अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य किया गया है इसमें से 27 को फांसी की सजा, 705 को आजीवन कारावास की सजा और 322 को 10 वर्ष या इससे अधिक की सजा दिलायी गई है महोदय इसके अलावा 194 अपराधियों को 10 वर्ष से कम जबकि 618 को 2 वर्ष से कम की सजा मिली है और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत महोदय यह रेकर्ड कायम हुआ है कि 1 दिन में ट्रायल करके सजा मिली हो और उसमें हमारे अररिया जिले से भी एक अभियुक्त है जिसको आजीवन कारावास की सजा पॉक्सो एक्ट के तहत एक दिन के ट्रायल में दिया गया महोदय और वहीं दूसरे कांडों में अररिया में 15 दिन के ट्रायल पर रेप के कांड के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है महोदय तो इस तरह से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी की सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हम अपराध को रोकें और

इस तरह की अनेकों कार्रवाई की गई है । मद्य निषेध के मामले में, जाली नोट के मामले में, बलात्कार के मामले में और सारे मामले में अपराधियों को सजा मिल रही है महोदय और कुछ महत्वपूर्ण काम भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है । महोदय, जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो हमारे यहां ट्रेनिंग कॉलेज पी0टी0सी0, हजारीबाग में ट्रेनिंग कॉलेज था जो बंटवारे में झारखंड के हिस्से में पड़ा तो यहां महोदय बिहार विभाजन के बाद राजगीर में 137 एकड़ के भूखंड में बिहार पुलिस एकेडमी की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय स्तर की एक उत्कृष्ट एकेडमी है महोदय । इसी तरह से महोदय पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण, साढ़े तीन करोड़ की लागत से सरदार पटेल भवन का निर्माण किया गया है और इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि मुख्यालय के पुलिस विभाग का सारा विंग एक छत के नीचे कार्यरत है और ऐसा बनाया गया है महोदय कि छत पर से ही हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाया जा सकता है । किसी भी बड़ी योजना की कार्रवाई में और यह राज्य का ही नहीं देश का सर्वोत्कृष्ट भवन है महोदय इस तरह की योजना हम समझते हैं कि देश के किसी अन्य राज्य में भी नहीं है तो इस तरह का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है महोदय ।

(क्रमशः)

टर्न–16/सुरज/25.03.2022

...क्रमशः...

श्री जय प्रकाश यादव : तो इस तरह के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है । महोदय, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये एक ही काम नहीं, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये सी0सी0टी0एन0एस0 नेटवर्किंग परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है और इसे इंटरनेट के माध्यम से, कम्प्यूटर के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ा गया है और आज हम दावे के साथ कहते हैं कि बगैर थाना गये हुए...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री जय प्रकाश यादव : आप घर बैठे एफ0आई0आर0 दर्ज कर सकते हैं, सनहा दर्ज कर सकते हैं और कांड की प्रगति से अवगत हो सकते हैं, आप बगैर कहीं जाये तो इस तरह के आधुनिकीकरण का कार्य हमारे सरकार के द्वारा की गई है । सभी थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जा रहा है और कैमरा लगाया गया है । इस तरह के अनेकों काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है और महिला सशक्तिकरण के लिये दिल्ली के तर्ज पर हिम्मत एप की जगह ई0आर0एस0एस0 सिस्टम को लागू किया जाना है और इस सिस्टम के लागू होने से किसी भी आपातकाल में, किसी भी तरह की

सूचना हम 112 नंबर डायल करके सभी को सेवा उपलब्ध करा सकते हैं तो इस तरह की सरकार की हमारी सोच है हर चीज को उन्नति की ओर ले जाना और विकास की ओर ले जाना । महोदय, मैं चूंकि पुलिस विभाग में रहा हूं सरकार को कुछ मैं सुझाव भी देना चाहता हूं । महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी जो दिन-रात विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा में लगे रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिये चूंकि उन्हें समय नहीं रहता है कि वह अपने बच्चों को देख सकें । हमारे पुलिस मैनुअल में नियम बनाया गया था और पुलिस मैनुअल रूल के मुताबिक बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है और उसी के तहत श्री कृष्ण आरक्षी बाल विद्यालय, हजारीबाग में बना हुआ था जो कि अब झारखंड के हिस्से में चले जाने के बाद हमारे यहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के बच्चों को पढ़ने के लिये चूंकि देहात में भी कहावत है कि पुलिस का बच्चा बिगड़ जाता, बिगड़ैल स्वभाव को होता है । यही कारण है कि उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने की सुविधा नहीं है और सुविधा नहीं दी जाती है...

(व्यवधान)

महोदय, मैं नया सदस्य हूं । महोदय, मुझे आसन का संरक्षण चाहिये । मुझे बोलने दीजिये ललित जी ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब आप संक्षिप्त कर लीजिये ।

(व्यवधान)

समय बढ़ाया गया है इनका ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, इसलिये रूल के मुताबिक मैं मांग करता हूं कि पुलिस के बच्चों को पढ़ने के लिये वहां हजारीबाग में पहली से लेकर माध्यमिक कक्षा तक का स्कूल था लेकिन मैं मांग करता हूं कि पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिये प्रदेश मुख्यालय में विद्यालय...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब संक्षिप्त करेंगे आप ।

श्री जय प्रकाश यादव : छात्रावास सहित विद्यालय हो और जिलों में एक-एक विद्यालय इस तरह के हों । महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक पुलिस क्लब की जरूरत पुलिस पदाधिकारियों को होती है स्थानांतरण के काल में, एक पुलिस क्लब की भी आवश्यकता है । तीसरा मैं कहना चाहता हूं पुलिस के जवानों को...

(व्यवधान)

नहीं, नहीं हुआ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब आप समाप्त करें समय हो रहा है आपका ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, पुलिस बल को शहीद पुलिसों के लिये 2005 में ही व्यवस्था की गई थी 10 लाख रुपये की जो आज 16-17 साल हो जाने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है इसलिये शहीद पुलिस के जवानों के लिये कम से कम 25 लाख किया जाय । महोदय, तीसरा मैं कहना चाहता हूं....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब कृपया बैठ जायें आप ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, सेवा निवृत्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अपने आप में एक प्रभावकारी बल होता है और पुलिस मैनुअल में इसकी व्यवस्था है कि एक 17वीं तख्ती के रूप में थाने में इसकी सूची होगी और आरक्षी अधीक्षक रिटायर्ड पुलिस...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब कृपया समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश यादव : पुलिस की बात कह रहे हैं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश यादव : नहीं, महोदय...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब आप समाप्त करें, बैठ जाइये ।

श्री जय प्रकाश यादव : नहीं, महोदय एक मिनट...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : समय हो गया आपका ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, एक बात और कह करके समाप्त करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : समाप्त हो रहा है ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय एक बात और....

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये, सरकार बैठी हुई है ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय एक मिनट, एक मिनट । मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सरकार बैठी हुई है, कृपया बैठ जाइये ।

श्री जय प्रकाश यादव : पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच को बदलिये और यह नकारात्मक सोच अंग्रेजी हुकूमत की देन है जो आज हम नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया है कृपया बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, एक मिनट पुलिस की जरूरत सबको होती है लेकिन पुलिस किसी को पसंद नहीं होती है...

(व्यवधान)

महोदय, एक मिनट...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब समय समाप्त हुआ कृपया बैठ जाइये ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, एक मिनट, एक मिनट...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये जय प्रकाश यादव जी ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय एक मिनट...

(व्यवधान)

हम क्या गलत बोल रहे हैं । आप अपनी सोच बदलिये...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : जनक जी बैठ जाइये ।

श्री जय प्रकाश यादव : आप पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच को बदलिये । अगर आप सोच बदलेंगे...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद जी ।

श्री जय प्रकाश यादव : नकारात्मक सोच को बदलिये यही अनुरोध है महोदय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, सभी सदस्यों की यह मांग आ रही है, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं और अहम सवाल पर चर्चा हो रही है उनके विभाग पर नहीं राज्य के कानून व्यवस्था पर हो रही है । यह विदित सत्य है कि किसी भी राज्य, राष्ट्र के विकास में कानून व्यवस्था अहम मुद्दा बनता है । जहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, लचर होती है वह राज्य चाहे जितनी बाते हों विकास नहीं कर सकता, विकसित नहीं बन सकता। तो मैं अपने सदस्यों को, अपने साथियों को बताना चाहता हूं शायद सत्ता पक्ष के लोग भी जान रहे होंगे, हमारे साथी को भी और सभापति महोदय आपके माध्यम से कि लोग शायद भूल गये हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अब नागपुरिया समाजवादी के हो गये हैं, ये नागपुरिया समाजवादी हैं । नागपुर से जो सर्टिफिकेट मिला है कभी तो इनको गांधी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सर्टिफिकेट देने का काम किया था, क्या-क्या उनका टेस्ट रिपोर्ट दिखवा रहे थे और उनको क्या-क्या कह रहे थे, पलटी मारने वाले कह रहे थे तो आज जो स्थिति बनी है साथियों उसमें आप निश्चित यह रखिये कि मुख्यमंत्री जी अब नागपुर से सर्टिफिकेट होल्ड कर चुके हैं, समाजवाद का तमगा इनको मिला है तो वह तमगा रिनुअल कराने गये हैं वहां लखनऊ में, यह आपको अपने ध्यान में रखकर बातें करनी चाहिये । अब आता हूं सभापति महोदय मैं तो अध्यक्ष जी के चेहरे को देख रहा था लेकिन अध्यक्ष जी चले गये शायद अपने कक्ष से सुन रहे होंगे कि जब

हमारे प्रहलाद भाई लखीसराय की बात उठा रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, हमारे साथी ललित जी जब बात कर रहे थे...

श्री जनक सिंह : सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि नागपुर की, हमने तो आपको 1990 में भी हमने इसी नागपुर की बात..

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मैं उसको भी बताता हूं । जनक भाई बैठ जाइये, जनक भाई बैठ जाइये । बैठ जाइये । सभापति महोदय...

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय । अब आप बैठिये न । सभापति महोदय, यह अपना ज्ञानवर्धन कर लें...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : जनक जी बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, ये अपना ज्ञानवर्धन करें....

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं इनके ज्ञानवर्धन के लिये बता दूं कि सदन में भी मैं यह बार-बार सुना करता हूं, यह सत्ता पक्ष के लोग कहा करते हैं 1990 में वही भाजपा के समर्थन से । लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री मुस्कुरा रहे हैं, श्रवण भाई हमारे, हमलोग उनके साथ काम किये हैं उस फोल्ड में तो मैं यह बताऊं आपको कि 1990 वाला...

(व्यवधान)

बैठ जाइये पहले । बैठ जाइये ।

टर्न-17/राहुल/25.03.2022

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये । जनक बाबू बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, वर्ष 1990 से पहले की भाजपा और 1992-93 के बाद की भाजपा, बाबरी मस्जिद ढहवाने के बाद वाली भाजपा, मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर निकलने वाली भाजपा के साथ हम, हमारी पार्टी और हमारे नेता कभी नहीं गए हैं, कभी नहीं जाएंगे । ये जो देश के तानाबाना, छिंकी-बिंकियां जो देश में आग लगाने का काम किया वह भाजपा और पहले वाली भाजपा जनसंघ, हमारे पुरखे नेता लोहिया जी ने भी प्रयोग किया था गैर कांग्रेसवाद में इसलिए ये थोथी दलील नहीं चलने वाली हैं आपका जब खूंखार चेहरा आया तब हम लोगों ने कभी हाथ नहीं मिलाया, ये

नागपुरिया समाजवादी गोद में बैठे हुए हैं आपके यहां रिन्यूअल करा रहे हैं । सभापति महोदय, अध्यक्ष जी सुन रहे होंगे कक्ष से मैं तो उनके लिए चूंकि सभी साथी उठा रहे थे उनके लिए मैंने कहा था कि आज हमारे अध्यक्ष जी बहुत मुस्कुरा रहे थे क्योंकि चर्चा सेंट्रलाईज हो रही है तो अध्यक्ष जी मैं आपके लिए एक गजल पढ़ रहा हूं जहां होंगे आप सुनेंगे, सदन के लोग सुन रहे हैं कि :

''क्या बात है कि बहुत मुस्कुरा हो,
क्या गम है, क्या डर है जिसे छिपा रहे हो ।''

आज पुलिस प्रशासन की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो हमारे अध्यक्ष जी बैठकर के बहुत मुस्कुरा रहे थे हम उनके चेहरे को देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष जी को जो दर्द है, जो पीड़ा सह रहे हैं, सुशासन बाबू का जो रोद्र रूप उन्होंने झेला है, शासन व्यवस्था का जो विद्रूप रूप देखा है तो अध्यक्ष जी इसकी चर्चा पर आज मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे इसलिए मैंने यह गजल उनको समर्पित की है । सभापति महोदय, आज मैं जो विपक्ष का कटौती प्रस्ताव है उस पर बोलना शुरू किया हूं । मैं अपनी बात रखने से पहले अपने नेता, अपनी पार्टी को और आपको भी, सदन को भी, आसन को भी और अपने क्षेत्र की महान जनता, जो बार-बार मुझको यहां भेज रही है, सबके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहां बार-बार खड़ा होकर बोलने का मौका हमारे क्षेत्र के लोग दे रहे हैं, हमारे नेता दे रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग दे रहे हैं । सभापति महोदय, बात हो रही है, वैसे तो भाई ललित जी ने तो बात को रखा ही है कि कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी जबकि कानून व्यवस्था के शीर्ष पद पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं पर अंगुली उठ रही हो तो ये जो बैठे हुए लोग हैं उन पर हम लोग अंगुली नहीं उठा रहे हैं, यह अंगुली हमारी ओर से नहीं उठ रही है कि साहब हम लोग विपक्ष में हैं इसलिए अंगुली हम अंगुली उठा रहे हैं, यह अंगुली उठायी है देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसने नोटिश इसू किया है बिहार सरकार को, यू0पी0एस0सी0 को कि आप इसका जवाब दो । जब उसके यहां रिट पिटीशन फाइल हुई है और रिट पिटीशन फाइल हुई है वॉयलेशन करते हुए जो वर्डिक्ट है अपेक्स कोर्ट का इस कांटेक्ट में जो वर्डिक्ट है जिसको मैं रेफर करना चाहता हूं, वह प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो स्पष्ट आदेश दिया था, जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है, जो निर्णय होता है वह स्टैंडिंग ऑर्डर क्लेक्ट कर लेता है और उसमें यह कहते हुए वर्ष 1996 प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह क्लीयर डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी राज्य न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के किसी भी राज्य के डी0जी0पी0 की जो अप्वाइंटमेंट होगी वह पैनल से होगी और वह पैनल

राज्य सरकार बनाकर के यू0पी0एस0सी0 के पास भेजेगी और यू0पी0एस0सी0 की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसके साथ बात करके और तब जाकर के जो उसमें मोस्ट सीनियर होंगे, जो एलिजिबल होंगे, जिन पर किसी तरह का एवत नहीं होगा उनके सारे कंडक्ट और एंटिसीडेंट को देखते हुए उनको मीनिमम दो वर्षों के लिए अप्वाइंट किया जाएगा लेकिन जो बिहार का केस है यह तो अजूबा है । यह बिहार का केस अजूबा है कि यहां न सिर्फ वॉयलेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, डायरेक्शन का बल्कि यह सरासर अपराध के चरित्र का कृत्य लगता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का यह हुआ और जो अभी बैठे हुए हमारे डी0जी0पी0 हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की तिथि है वह सेवानिवृत्ति इनकी हो जाती है ये एडॉप्ट रूप में बनाए जाते हैं । दिनांक-19 दिसम्बर, 2020 को इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि थी उसको बढ़ा दिया जाता है, इनको दिया जाता है उस हिसाब से दो साल इनके पूरे नहीं हो रहे थे तो दो साल पूरे करने के लिए इनको हुआ और इनका एडहॉक ये हुआ आज तक जो है राज्य सरकार ने नहीं भेजी कोई कमेटी बनाकर के, कोई पैनल बनाकर के यू0पी0एस0सी0 के पास भेजने का काम नहीं किया कि यू0पी0एस0सी0 के साथ जो उसकी कमेटी है उसके साथ कोई नेगोशिएट करके किसी एलिजिबल पर्सन को यहां डी0जी0पी0 बनाया जाय । अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राज्य में कैसे सुशासन का राज कायम होगा ? सुशासन का राज कैसे कायम होगा ? सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि यहां आज जो स्थिति बनी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है बिहार में, चाहे सदन में जिन लोगों ने झेला है, सदन के माननीय सदस्यों ने झेला है, हमारे आसन को रोना पड़ा है, हमारे एक मंत्री को पुलिस के व्यवहार से यहां आकर के स्तीफे की धमकी देनी पड़ी है और उसके बाद भी अगर यह कहा जा रहा है कि सुशासन का राज है । हमारे सत्तापक्ष के साथी बोले जा रहे हैं तो मैं वह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं और बार-बार ये बातें उठा करती हैं कि 15 साल । 15 साल, 20 साल आपके होने जा रहे हैं और आप 15 साल की बात करते हो । यह विदित सत्य है, कई बार मैंने इस सदन में भी कहा है और अन्य जगहों पर भी मैं बोलता रहा हूं कि हमारा जो वह 15 साल का कार्यकाल था, जैसा बिहार हमको मिला था, जो सामाजिक परिस्थिति थी उसमें गरीबों को आवाज और उनके हक जो मारे गए थे उस आवाज और हक की लड़ाई लड़नी पड़ी थी और आवाज और हक की लड़ाई लड़ने में हमारी सरकार को, हमारे मुखिया को, हमारे नेता को जो तरह-तरह से यह किया गया । यह भी सत्य है, यह भी विदित सत्य है कि जो वह हमारी लड़ाई थी, यथा स्थितिवादी शक्तियों से थी, वह यथा स्थितिवादी शक्ति जो पढ़े हैं, बढ़े हैं और सिस्टम पर चढ़े हैं । यह सत्य सब कोई जानते हैं, यह एडमिटेड फैक्ट है

कि System is a government. We are the only monitor of the system. All the people representative and the government laws by the people only they monitor of the system. System is the government और आप हमारी हकमारी करते रहे, आज भी कर रहे हैं । आज भी आपको ई0डब्लयू0एस0 को मिल रहा है, आप उसके नाम पर हमारे रूल देख लीजिये । सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन नहीं होगा, यू0पी0एस0सी0 में ऐसे नहीं होगा और अभी एक सवाल मैंने डाला है, लगेगा कि साहब यहां जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी हैं उसमें जो पिछड़े के बच्चे हैं उनको, जो ओ0बी0सी0 के बच्चे हैं उनको इस नाम पर छांट दिया गया कि तुम प्राईवेट कॉलेज से पढ़े हो, प्राईवेट कॉलेज वाले को नहीं देंगे तो ये तरह-तरह के लुकना लगाकर के बोटम टू टॉप जो बैठे हुए हैं वह सारे लोग पहले भी करते रहे और आज भी कर रहे हैं । आज भी जब यह दृश्य है देश का तो आप उस दिन की कल्पना करिये और 15 साल । बहुत हमारे साथी बैठे हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप यहां-वहां से जीतकर आए हों लेकिन आपका मन कहता होगा कि उस 15 साल में और भी कुछ हुआ हो, नहीं हुआ हो लेकिन गरीबों को आवाज जरूर मिली है । शासन, सत्ता पर आज जो हक की खोज हो रही है वह हक की खोज करने की ताकत हमारे नेता और हमारी सरकार ने देने का काम किया था उसको कोई नहीं भूल सकता है ।

क्रमशः

टर्न-18/मुकुल/25.03.2022

...क्रमशः...

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, आप भी जहां से आते हैं, वहां के हालात क्या थे । आज भी गया के हालात क्या हैं, आज भी बेला में क्या हो रहा है, आज भी समस्तीपुर में क्या हुआ, जनदाहा में क्या हुआ, हमारी बेटियों के साथ कौन सा सलूख हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, क्या किया जा रहा है । आज भी यह सरकार कहती है और जहां तक एक साथी पुलिस से रिटायर हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह डिमांड रहा है कि साहब पुलिस रिफॉर्म्स भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हो लेकिन अब पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर सिर्फ यह प्रचार किया जाता है, पैसे का खर्च दिखाया जाता है, हमने थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगा दिये, हमने यह बना दिया, हमने बिल्डिंग बना दी । बिल्डिंग्स आपने रंग-रोगन कराया है, आपने महलें बनवाई हैं, आपने सभागार बनवाया है लेकिन गरीबों की किस्मत लूट लेने का काम किया है, आप इन गरीबों की किस्मत लुटवा रहे हों अपने प्रशासन से और अपने बैठे हुए जिनके साथ आप बैठे हैं उनसे आप लुटवाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं । आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं,

कहां से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वहां से जो कभी आप पत्तल खींच लिये थे, इसलिए कि हमारा...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : फोटो कैसे खींचा गया तो हम यह कहना चाहते हैं । सभापति महोदय, कभी जाकर के गुजरात में जो गोधरा प्रकरण हुआ था । आज गोधरा प्रकरण वहां वह शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति करवाने का, उनके नेतृत्व में हुआ था तो आज पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, अपने राज्य में भी हो रही है । हमारे राज्य के जो शासन/प्रशासन हैं ।

(व्यवधान)

कहीं जो है लोग ही नहीं हैं और लोग कहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

मैं डाटा भी लेकर आया हूं, मेरे पास डाटा भी है । आप कहते हैं कि साहब यह हुआ है लेकिन हम वर्ष 2001 से वर्ष 2021 तक के डाटा को रखना चाहता हूं । यहां जो हमारे...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आप बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मुझे कुछ और समय दिया जाय । अभी आप हमारे दूसरे साथियों को धैर्य से सुन रहे थे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, नहीं-नहीं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मैंने यही अध्यक्ष जी को परसों कहा था कि अध्यक्ष जी हमलोगों को भी समय दे दें बोलने का ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, सभी को बोलने के लिए समय आवंटित है । हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप कन्क्लूड कर दीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, यह जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ष 2001 में 9,500 हुआ करता था, आज बढ़कर के 28,000 हो गया है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, कृपया करके बैठ जाइये । अब माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ सौरव जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, हमारे पास और भी आंकड़े हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : श्री सिद्धार्थ सौरव जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, शराबबंदी के नाम पर जो हो रहा है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । बैठ-बैठ जाइये, माननीय सदस्य बता रहे हैं।

श्री नन्द किशोर यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को दो पंक्ति सुनाना चाहता हूं कि

''जिनको आज उनमें हजारों गलतियां नजर आती हैं,
कभी उसी से कहा था तुम जैसे भी हो मेरे अपने हो ।''

श्री सिद्धार्थ सौरव : सभापति महोदय, आपने कटौती प्रस्ताव पर...

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि

''बिहार को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने,
उजले-उजले बाल और उजले-उजले दाढ़ी वालों ने ।।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं अंत में एक चीज आपके लिए, अपने साथियों के लिए और देश के लिए कहना चाहता हूं । हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात हमेशा करते हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए, समय हो रहा है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि आज जो चारों तरफ भय का माहौल है, एक नयी फिल्म आयी है जिसका नाम सबलोग जान रहे हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री सिद्धार्थ सौरव जी अब आप बोलिए, आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : लेकिन इनके सदस्य बोलते वही है तो मुझे गर्व है, मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात कहता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : रामानुज बाबू, आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, सिद्धार्थ सौरव जी आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पहले बोलना बंद करेंगे तब ही न हम अपनी बात शुरू करेंगे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : रामानुज जी, कृपया बैठ जाइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : सभापति महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । बिहार एक युवाओं का प्रदेश है, हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की बिहार में है । यह बहुत दुख की बात है कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही है । दशकों से बिहार में पर कैपिटा इनकम में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है । हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि कोई ऐसा इंडस्ट्रिलाइजेशन बिहार का संभव नहीं हो पाया है । बिहार सरकार रोजगार का सृजन नहीं कर पाई लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि यातायात नियमों में पैनल्टी में पांच गुना वृद्धि कर दी गई । आखिर यह सोचने का विषय है कि मोटर व्हीकल एक्ट–2019 में एक व्यक्ति जो भूल से किसी यातायात नियम का उल्लंघन करता है उसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया और जितना का पेट्रोल वह सालभर अपनी गाड़ी में नहीं भरा था उसको एक बार में उतनी दर, उतनी पैनल्टी भरने के लिए मजबूर किया गया । खुद सोचिए, आज ड्रंक एण्ड ड्राइविंग में जो पहले 1 हजार का फाइन था वह 10 हजार हो चुका है । ड्राइविंग विथआउट क्वालिफिकेशन जो 1 हजार का फाइन था वह आज 10 हजार हो चुका है । जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय मात्र 50 हजार सालाना है, अगर उस व्यक्ति को एक बार में 10 हजार, 5 हजार, 20 हजार का फाइन देना पड़े तो उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा । 60 हजार, 70 हजार की मोटर साइकिल लोग लोन पर खरीदते हैं और 10 हजार, 20 हजार अगर उसको फाइन कर दिया जाये तो पूरे वर्ष की उसकी आमदनी समाप्त हो जाती है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इस पर निश्चित रूप से जब आप आय में नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पेनल्टी में भी वृद्धि नहीं करें । युवाओं का प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा मोटर साइकिल, गाड़ी पर चलते हैं और सीधे मार उनकी जज्बात पर, उनके दिल पर यह पेनल्टी पड़ रही है । दूसरी एक दुखद बात, आज कितना संवेदनहीन हो गया है हमारी बिहार पुलिस, यह मैं आपको दर्शाना चाहता हूं । एक मुकेश मिस्त्री, पिता–स्वर्गीय रामदयाल मिस्त्री । एक नौजवान बिहटा में जा रहा था, जो नौबतपुर प्रखण्ड, धोबियाकालापुर ग्राम का लड़का था । मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 14.08.2013 को उसकी मृत्यु हो गई थी । एक्सीडेंटल केस में भी केस दर्ज होता है, 578/2013 केस रजिस्टर हुआ । सोचिए प्रशासन कितना संवेदनहीन हो चुका है कि 9 वर्ष में फाइनल चार्जशीट इस केस का नहीं गया, आज सोचिए उस व्यक्ति को एक विधवा औरत को, जिसके ससुर भी नहीं हैं, छोटे–छोटे तीन–चार बच्चे हैं । एल0आई0सी0 स्कीम का जब उसको लाभ मिलना है तो आवश्यक है कि पुलिस की तरफ से फाइनल चार्जशीट किया जाय लेकिन 9 वर्ष हो गये एक एक्सीडेंटल केस का चार लाइन लिखने का पुलिस के पास

समय नहीं था, क्योंकि पूरा बिहार का प्रशासन दारू और बालू में लिप्त है । आज उसी बिहटा थाना में लाखों की तसिली एक दिन में की गयी, उस थाना परिसर से चौकीदार और सिपाही गिरफ्तार हुआ और लाखों रुपया बालू का तसिला हुआ पकड़ा गया । बालू में पैसा तसिलने के लिए समय है, दारू में पैसा तसिलने के लिए समय है लेकिन एक आम आदमी मुकेश मिस्त्री मृतक का चार्जशीट देने में 9 वर्ष लग गये इसी बिहार के पुलिस प्रशासन को । सभापति महोदय, आप खुद सोचिए कि हमारे नौबतपुर में आज किस प्रकार से अपराध में वृद्धि हुई है, एक गवाह रामदर्शन सिंह जो अपने घर में मौजूद थे, जो अपने बेटे की हत्या का स्वयं गवाह थे, घर में घूसकर उसकी हत्या कर दी गई, केस रजिस्टर हुआ 94/22, दिनांक–19.02.2022 को नामित अभियुक्त हुए लेकिन आज महीना भर हो जाने के बाद भी किसी भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सत्ता से पोषित वह व्यक्ति है और सत्ता का संरक्षण उन अपराधियों को आज मिला हुआ है । आखिर कहां है, गवाह तक मारे जा रहे हैं और लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है । उस घर में आज पुरुष नहीं है, सारी महिलाएं ही बची हुई हैं, महिलाएं ही गवाह हैं और एक भी गिरफ्तारी करने की हिम्मत बिहार के प्रशासन में नहीं है और लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, क्या इन लोगों के लिए सुशासन है जिनके घर में घूसकर बेटा को मारा जा रहा है, बाप को मारा जा रहा है । क्या यही सुशासन है । आज शराबबंदी की बात करते हैं पूरे बिहार में शराबबंदी कर दी गयी और शराबबंदी का घाटा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ यह समझने की बात है । आज सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी में कितने इनकम टैक्स पैई गिरफ्तार हुए हैं । कितने डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कलेक्टर, जज, विधायक और सांसद कितने लोग शराबबंदी में गिरफ्तार हुए, क्या इनलोगों में से कोई शराब का सेवन, सब लोगों ने शराब का सेवन करना छोड़ दिया । पहले जो महंगी शराब बिकती थी उनका सेवन आखिर कौन लोग करते थे, क्या ये लोग पहले शराब नहीं पीते थे, ये लोग शराबी नहीं थे और इसमें से एक सबसे बड़ा शोध बिहार सरकार को करना चाहिए कि कितने बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर, कितने गरीबी रेखा से नीचे लोग शराबबंदी में गिरफ्तार हुए ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : सभापति महोदय, हम 1 मिनट समय लेंगे । एक सबसे बड़ा शोध की आवश्यकता है कि आखिर कितने गरीब लोग शराबबंदी में गिरफ्तार हुए और कितने समृद्ध लोग जो इनकम टैक्स पैई हैं, बड़े–बड़े पद पर हैं, आज वे लोग कहां हैं, बाहर जाकर शराब का आनंद ले रहे हैं, होम डिलीवरी में शराब का आनंद ले रहे हैं लेकिन गरीब का बच्चा लाठी से पीट–पीटकर जेल में डाला जा रहा है । आज किसान, मजदूर

वर्ग सबसे ज्यादा अपमानित और शोषित हुआ है शराबबंदी के नियम लागू होने से । आज आपको बताने की जरूरत है कि आज जो अन्य राज्य में लोग पलायन कर रहे हैं पूरे बिहार को इंडस्ट्रिलाइजेशन की आवश्यकता है, इतनी बड़ी आबादी युवाओं की है लेकिन युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाय इसके लिए कोई मैप बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं है । आज आवश्यकता है, इन युवाओं को जो भटक गये हैं

...क्रमश...

टर्न-19/यानपति/25.03.2022

...क्रमशः...

श्री सिद्धार्थ सौरवः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं । इन लोगों को कम से कम एक सरकार की तरफ से, एक ऐसा उपलब्ध कराया जाय, एक व्यवस्था की जाय जिससे कि इंडस्ट्रिलाइजेशन हो सके ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): अब समाप्त कीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः सभापति महोदय, एक अंतिम सूचना मैं आपको देना चाहूंगा सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना कांड सं0-295/2017 में एक अति पिछड़ी जाति की महिला के साथ महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है । पटना हाईकोर्ट से भी बेल रिजेक्ट है लेकिन अभियुक्त जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है कृपया करके इनकी...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन जी ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः करगहर थाना कांड संख्या...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप बैठ जाइये ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः एक मिनट सर...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपका समय पूरा हो गया ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः 37/22 ग्राम- घोरडिहां के देवकीनन्दन पाण्डेय उम्र- 26 वर्ष...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): अब दे दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः दिनांक- 5.2.2022 को पीटा गया, उसको ब्रेन सर्जरी कराना पड़ा है, बी0एच0यू0 ट्रामा सेंटर से इंज्यूरी रिपोर्ट...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप बैठ जाइये, आपका समय पूरा हो गया ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः सभापति महोदय, कितना समय है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): 12 मिनट ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः सभापति महोदय, आज मैं गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने मुझे अवसर दिया, लगातार मैं बजट देख रहा हूं । 143 अरब रुपया और लगातार प्रत्येक वर्ष देखा

जाय तो इतना बड़ा बजट गृह विभाग में दिया जा रहा है इसका परिणाम क्या बिहार में हो रहा है इसपर हमको एक शेर याद आता है जो नेता प्रतिपक्ष जी ने पिछली बार कहा था कि जुर्म करनेवाले जेल में रहते कहां हैं, जुर्म करनेवाला जेल में रहता कहां है, गरीबों को नीतीश राज में न्याय मिलता कहां है तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि आखिर यह गौतम बुद्ध की धरती है, यह मां सीता की धरती है, यह ऋषि मुनियों की धरती है और यहां जिस तरह से लगातार प्रत्येक वर्ष अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं यह काफी चिंता की बात है । यह केवल पुलिस की असफलता नहीं है बल्कि सरकार की जो सोच होती है, जो सामाजिक न्याय का जो एक विचार होता है कि तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं हैं तमाम में त्रुटि के कारण ही किसी राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं । जैसे आप अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जीवन यापन का नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छी-अच्छी योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं जिसके कारण लोग तरह-तरह की आर्थिक तंगियों में आकर भी अपराध की तरफ आते हैं, तो कई कारण हो सकते हैं इसकी असफलता न केवल पुलिस बल्कि सरकार की जो सोच, जो दृष्टि है उसको परिलक्षित करता है और जहांतक सरकार लगातार बात करती है कि हम विकास का काम कर रहे हैं, खासतौर से गृह विभाग के माने में सुशासन की बात करते हैं तो हम यहां कुछ प्वाइंट पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर यह गिरफ्तारी कितनी कर पा रहे हैं । हम चाहेंगे कि सरकार जवाब दे, मेरे पास जो आंकड़ा है, प्रत्येक वर्ष 5000 से अधिक ऐसे मामले होते हैं जो गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद एक-एक साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है, मेरे पास यह भी आंकड़ा है कि कुर्की जब्ती का वारंट जारी होने के बाद 6-6 महीने, साल-साल भर तक कब तक यह कुर्की जब्ती नहीं कर पाते हैं, मैं जिलावार आंकड़ा दे सकता हूं । कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है कि भागलपुर में 2400 से अधिक कुर्की जब्ती का वारंट होने के बावजूद 6 महीने तक कुर्की जब्ती नहीं हुआ । मुजफ्फरपुर में 1400 से अधिक कुर्की जब्ती का वारंट होने के बावजूद कुर्की जब्ती नहीं हुआ है । न्यायपालिका ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह भयादोहन है, इसमें भयादोहन किया जाता है पुलिस के माध्यम से कुर्की जब्ती नहीं करने के लिए । अपराधी आखिर गिरफ्तार नहीं होंगे, कुर्की जब्ती नहीं होगी तो आखिर सरेंडर कैसे होंगे । वह अपराधी लगातार अपराध करता चला जाएगा । उसी तरह, आप पकड़ क्यों नहीं पाते हैं जबकि अब मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है, अब सेटेलाइट के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, आप सी0सी0टी0वी0 के जरिए तमाम तरह का साइंटिफिक मैकेनिज्म डेवलप हो

चुका है । अब किसी अपराधी को चन्द घंटे में गिरफ्तार किया जा सकता है और यहां लाखों केस ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और यह पूरी तरह से सुशासन के मुंह पर तमाचा है और यह पूरी तरह से झूठा वादा है । अब ये लोग तमाम तरह की बात करते हैं और जब राजद की लालू-राबड़ी जी की सरकार थी तो उसको जंगलराज की संज्ञा दी और जो भारत सरकार का आंकड़ा, उस समय राबड़ी जी की सरकार का आंकड़ा बताते हैं, 2001 का ही उदाहरण लीजिए, पूरा कॉग्निजेबल क्राइम जो पूरे बिहार में हुआ करता था एक साल में वह 95 हजार कॉग्निजेबल क्राइम था और आज जो सरकार है वह 2021 का आंकड़ा लीजिए तो 3 लाख पूरा होने को है । कहां 95 हजार, कहां 2 लाख 82 हजार कॉग्निजेबल क्राइम है। अगर उस शासनकाल को आप जंगलराज की संज्ञा देते थे तो आज हम जानना चाहते हैं कि जो 300 प्रतिशत की अपराध की घटना में वृद्धि हुई है, इस शासन को कौन सी संज्ञा देंगे । कुछ लोग महाजंगलराज कहते हैं, कुछ इसे दानवराज कहते हैं, कुछ लोग राक्षसराज कहते हैं हमलोग चाहेंगे कि नामकरण किया जाय और किस मामले में बलात्कार की बात कर रहे थे, रेप की बात कर रहे थे, रेप के मामले में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । एक-एक अपराध के बारे में बता सकते हैं कि किस अपराध में ज्यादा हुआ है । आप रोड रॉबरी का देखिए कितना हुआ करता था, 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप, तमाम तरह के अपराध की घटनाएं जिसका विस्तार से देने का समय नहीं है इसीलिए अध्यक्ष महोदय, जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जब सदस्यों से इस तरह की समीक्षा करने पर सवाल उठाएंगे, जब हम पूछेंगे कि अपराध क्यों किसी जिला में बढ़ रहा है तो चुनौती देते हैं मुख्यमंत्री जी, तमाम साथियों ने कहा मैं चुनौती देता हूं कि आखिर संविधान के किस अनुच्छेद में है कि विधायिका को यह अधिकार नहीं है कि हम सरकार से पूछें कि आप केस के स्टेटस को बताइये, किसी भी विभाग से हम पूछ सकते हैं, वह यहां पर जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, विधान सभा के प्रति एकाउंटेबल हैं, संविधान के किस अनुच्छेद पर जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि किस अधिकार से पूछा जा रहा है, हम चुनौती देते हैं इसपर बहस होनी चाहिए विधान सभा में, विधान सभा ऊपर है, विधायिका ऊपर है या सरकार ऊपर है । जब गृह मंत्री अपने पदाधिकारी से पूछ सकते हैं तो गृह मंत्री को यहां पर जवाब देना होगा, प्रभारी मंत्री को यहां पर जवाब देना होगा अगर वैसी कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो समय मांग सकते हैं या कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट से कुछ तो अलग से भी रिपोर्ट अध्यक्ष के चैंबर में जाकर दिया जा सकता है लेकिन जिस तरह से विधायिका का अपमान हो रहा है, जिस तरह से न्यायपालिका का अपमान हो रहा है, जैसाकि पहले के साथियों ने कहा कि यूनियन

पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट करती है, उस आधार पर ही सेलेक्शन डी0जी0पी0 का किया जाता है । उनके सेलेक्शन के आधार पर किया जाता है । जिस तरह से न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है, विधायिका का अपमान हो रहा है यह निश्चित रूप से गलत है । मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है, इसमें जिस तरह का उन्होंने वर्डिक्ट दिया था उसको भी हम चाहेंगे प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाय । सभापति महोदय, आप किसी भी क्राइम को ले लीजिए, हमने टोटल क्राइम कहा था, वूमन का आप ले लीजिए कि महिलाओं का अत्याचार, ये महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें महिला सशक्तीकरण के बारे में भी है और पुलिस कितनी है बिहार में, पूरे देश में सबसे कम, 1 लाख आबादी पर सबसे कम पुलिस बिहार में है, सबसे कम मात्र 76 पुलिस है । किसी भी राज्य में जाइये 1 लाख की आबादी पर 500 पुलिस है, 400 पुलिस है, 1000 पुलिस है तमाम राज्यों का आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, पूरे बिहार में सबसे कम पुलिस 1 लाख आबादी पर मात्र 76 । सेंक्शन पोस्ट जो पुलिस का होता है पूरे देश में सबसे कम सेंक्शन पोस्ट बिहार में है तो आखिर कैसे आप इतनी बड़ी-बड़ी राशि ले रहे हैं और इस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप संक्षेप करेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: उतना ही नहीं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डी0एस0पी0 जितना भी सेंक्शन पोस्ट है, एक तो सेंक्शन पोस्ट कम है उसके अनुपात में 50 परसेंट भी ये लोग कार्यरत नहीं हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है । दलितों पर अत्याचार ये कहते हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश छोड़कर सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार बिहार में हो रहा है । पूरे देश में दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है । आप महिलाओं के बारे में कहते हैं, 21 प्रतिशत अभीतक ऐसा मामला है महिलाओं पर जो चार्जशीट अभीतक नहीं हुआ है, 21 प्रतिशत ऐसा मामला है और पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में दो-चार राज्यों जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है उसमें बिहार है । यह सारा डाटा हम एन0सी0आर0बी0 का डाटा कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं मैं चाहूंगा तो, आप प्रस्तुत कर देंगे और...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप दे दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा । अब समय समाप्त हो गया है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: कितनी आबादी पर एक थाना होना चाहिए । 17 साल से शासन है, यह बताएं माननीय मंत्री जी सदन को कितनी आबादी पर थाना होना चाहिए । एक मानक कहता है कि 40 हजार शहरी क्षेत्र पर ग्रामीण क्षेत्र पर 50 हजार और यहां क्या है डेढ़

लाख की आबादी पर एक थाना है, कैसे आप सुशासन ला सकते हैं कैसे कानून का राज ला सकते हैं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप कृपया समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री कृष्णा मुरारी शरण जी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: इसीलिए पूरी तरह ये बजट लेकर के पैसे का बंदरबांट करते हैं, विकास का काम नहीं करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया: महोदय, आज आपके द्वारा इस सदन में बोलने का जो हमें अवसर दिया गया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ-साथ मैं अपने माननीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने दल से हमें प्रत्याशी बनाया और अपने क्षेत्र की जनता, हिलसा क्षेत्र की जनता के प्रति मैं पूरा धन्यवाद देता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य मत से हमें विजयी बनाकर इस सदन में भेजने का काम किया है ।

(व्यवधान)

टर्न-20/अंजली/25.03.2022

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : शांति बनाए रखिए । आप बोलिए, आप आसन की ओर देखकर बोलिए ।

(व्यवधान)

अब शांति बनाये रखिए । आप बोलिए ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : महोदय, आज मैं यहां पर सरकार के जो गृह...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप बोलिए ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : शायद वे 5-6 बार जीतकर के आए होंगे 7 बार और 32 वर्ष मैं भी मुखिया रहा हूं । महोदय, वे इस सदन में बैठ हैं और मैं देहात ग्राम सभा में बैठता था, अपना-अपना यह सब है, 12 वोट से जीते तो भी सर्टिफिकेट मिले और 12 हजार से जो जीता उसी का वैल्यू है, वे भी सदन में बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं । महोदय, आज मैं गृह विभाग के पक्ष में, जो सरकार का प्रस्ताव आया है मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आज जो भी हुआ है, आज के पहले का बिहार और आज का बिहार, 15 वर्ष पहले का बिहार । माननीय महोदय, मैं एक घटना सुना देता हूं तब सब को भरोसा हो जाएगा, हमलोग का घर हिलसा से पटना मैक्सी आता था, चार चक्के की मैक्सी चलती थी और बस चलती थी । एक बंकाघाट जगह है, हिलसा से व्यापारी चढ़ते थे उस पर और बंकाघाट में आकर उनको उतार लिया जाता था और वे बोलते थे जो उतारने वाले रहते थे वे कहते थे जीजाजी कहां जा रहे हैं, चलिए न

घर खा-पी लीजिएगा, नहीं-नहीं हम आपके जीजाजी नहीं हैं, नहीं-नहीं आप है हीं । चलिए न आप । वो जबरदस्ती उतार लेता लेता था और जंगल में ले जाकर के अपना सारा काम कर लेता था, पैसा छीन लेता था और दूसरे बस पर उसको चढ़ा देता था यही सरकार थी, आज से 15 वर्ष पहले की सरकार और जीजाजी बनाकर के लोग पैसा छीन लेता था । भागे कहां ललित बाबू, 12 वोट रहे चाहे 12 हजार रहे सब का मान बराबर है, क्यों भागे जा रहे हैं सुनिए ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए । माननीय विधायक जी, बैठिए । आप बोलिए ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : एन0डी0ए0 सरकार से पहले राज्य की विधि व्यवस्था की क्या स्थिति थी । लोगों को शाम के बाद अपने घर से निकलने में परहेज होता था । घर की महिलाएं अपने बाल-बच्चों को सकुशल लौटने के लिए वह सोचती थीं कि मेरा बाल-बच्चा सही लौटेगा कि नहीं लौटेगा, अगर लौट गया तो उनकी किस्मत थी और नहीं तो यहां, कहां कौन कोठी में चले जाएंगे और परसों होकर फिर ये कुलबुलाएंगे ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप बैठे हुए मत बोलिए । बोलने दीजिए उनको । आप बोलिए ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : विधि व्यवस्था की जो स्थिति है, आज देखकर पुलिस वाले भी सतर्क रहते हैं, कहीं हमसे कोई चूक न हो जाए यह पुलिस की नजर बराबर रहती है कि जनता के साथ कहीं हम भूल न जाएं, कहीं भूल न हो जाए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वे कहीं हमसे सवाल-जवाब न कर दें । क्या-क्या नहीं हुआ, हमारी सरकार का भयमुक्त, अपराध मुक्त, बाल-विवाह मुक्त, दहेज मुक्त, शिक्षा युक्त, इलाज युक्त बिहार का सपना है इसलिए ये सारे काम जो हो रहे हैं, आप लोग सुनिए, वामपंथी लोग सुनिए ।

(व्यवधान)

एक मिनट, एक मिनट सी0पी0आई0, सी0पी0एम0, माले जो भी लोग हैं उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूं और मैं धनरूआ जहानाबाद पटना के बॉर्डर पर हूं ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है । आज मेरी उम्र हो गई और आप लोग आज जवान हैं, एक-एक को हमने देखा है कि क्या हुआ है, एक-एक रोज मेरे पंचायत में 5-5 मर्डर की घटना हुई है महोदय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, अब आप संक्षिप्त कीजिए ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : हां महोदय, आज मेरे क्षेत्र में हिलसा...

(व्यवधान)

सुन लीजिए, सुनिए ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सुन लीजिए आपलोग ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : सुनिए न, आज एक गांव नदहा है और एक गांव है अलामा, इन दोनों गांवों में घटना घटी है और ऐसा नहीं है कि पुलिस बैठी हुई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और नदहा से उसने पकड़कर लाया था बच्चे को भी, बच्चियों को भी और महिलाओं को भी, ऐसा नहीं है कि...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब आप समाप्त कीजिए । आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी ।

श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया : महोदय, कि हिलसा में कोई मारा गया, हिलसा में सब को छुड़वाया, ऐसा नहीं है सरकार ने सब देखा है ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति आभार है कि आपने हमको बोलने का अवसर प्रदान किया है । अपनी इस महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सदन में हमको चुनकर भेजा है । आज मुझे बोलने के लिए कहा गया कि आज गृह विभाग का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है उस पर अपने विचार रखने हैं । मैं कुछ संक्षेप में कहना चाहता हूं परंतु रामानुज जी ने और जिस प्रकार से हमारे शाहीन भाई ने विषय रखा है तो मुझको याद कराना पड़ेगा पिछले 15 वर्षों का जो शासन हम सब लोग कहते हैं उसको याद कराना पड़ेगा । उसपर चूंकि आपको कुलबुलाहट होगी...

(व्यवधान)

सुन लीजिए ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : इनकी बात को सुनिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : इसलिए मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं उसको पहले रख लेता हूं । मेरा जो क्षेत्र है लालगंज वह 150 वर्ष पुराना नगरपालिका क्षेत्र है । शायद इस बिहार के अंदर उतना पुराना नगरपालिका क्षेत्र बहुत कम है, वह नगरपालिका क्षेत्र पुराना है और वहां के लोगों की, वहां के जनता की बहुत पुरानी मांग है कि वहां अनुमंडल का दर्जा दिया जाय ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आज गृह विभाग पर चूंकि मुझे बोलने का अवसर मिला है तो मैं सदन की ओर से, अध्यक्ष महोदय आपकी ओर से, सरकार से मांग करता हूं कि हमारे लालगंज को, लालगंज, वैशाली, पटेढ़ी बेलसर, भगवानपुर मिलाकर एक अनुमंडल लालगंज में स्थापित किया जाय और वहां की जनता की चिर-प्रतीक्षित मांग को पूरा किया जाय । हमारे यहां सराय और भगवानपुर काफी पुराना बाजार है जो हमारे जिले और बाकी जिलों के छपरा

के लोग हैं वे जानते हैं इन दोनों बाजारों को काफी पुराना है, उसको हम चाहते हैं कि नगर पंचायत का दर्जा मिले, यह हम इस अवसर पर चाहते हैं । तीसरी बात हम एक और कहना चाहेंगे कि भारत के संविधान की जिसने रचना की वैसे परम पूज्य हमारे भीम राव अम्बेडकर जी और उन्होंने अनुच्छेद-44 में जो प्रावधान किया है, ''समान नागरिक संहिता'' का उसको हम चाहते हैं कि आज गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर हम सरकार से मांग करेंगे कि समान नागरिक संहिता इस बिहार के अंदर भी लागू की जाय ताकि हमारे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की आत्मा को शांति मिले और इस अवसर पर हम उस विषय को रखना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि आप आसन पर चले आते हैं और मेरा समय कट जाता है । अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं । मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं कि समय कम था परंतु रामानुज जी ने और शाहीन जी ने जो विषय कहा है कि 15 वर्षों का जो राज था उसमें गरीबों को आवाज मिली थी, गरीबों को आवाज मिली थी मैं कहता हूं लेकिन उसके साथ याद कीजिए एक स्लोगन है, जोड़-घटाव-गुणा में खोजूं, या खोजूं मैं शेष में, गांधी को मैं खोज रहा हूं गांधी के ही देश में । जब मैं गांधी को खोजने के लिए चंपारण की धरती पर गया तो वहां कुछ XXX जैसे वीर पुरुषों से मेरा पाला पड़ा, वैसे वीर पुरुष हुआ करते थे उन 15 वर्षों में, उस जंगल राज में, ऐसे नाम हुआ करते थे । जब मैं उससे आगे बढ़ा तो सीवान की धरती पर परम श्रद्धेह जिनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं XXX हमको मिले, उससे आगे बढ़ियेगा तो ऐसे संगठित गिरोह पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के थे । मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और अपनी एन0डी0ए0 की सरकार को जिसने इन अपराधियों पर नकेल कसी, इन अपराधियों की कमर तोड़ी और इन अपराधियों के संगठित गिरोह का खात्मा किया । हमारे भाई जयप्रकाश यादव जी कह रहे थे, वे सही कह रहे थे कि अपराध रुक नहीं सकता है, अपराध की एक प्रवृत्ति होती है, मनुष्य में सद्गुण और तमोगुण दोनों होते हैं, तमोगुण वाले जो लोग होते हैं उनको रोका नहीं जा सकता है । रामायण के काल में, महाभारत के काल में भी अपराध होते थे परंतु अपराध...

(व्यवधान)

अब देखिए, आप बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय जरा सुन तो लीजिए, दो मिनट धैर्य से सुन लीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष : आसन के ध्यान में है ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, वे अपराध संगठित हुआ करते थे । हमारे अवध बाबू, हमारे गार्जियन हैं उनको सुनना चाहिए, हम सबलोग नए जीतकर आए हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, इन्होंने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है उसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय ।

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है । सबूत के बिना कोई भी नाम नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)

ठीक है । वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री संजय कुमार सिंह : हम कहना चाहेंगे कि रामायण और महाभारत के समय भी जो अपराध होते थे वह अपराध रोका नहीं जा सकता है परंतु अपराधियों पर नकेल कसना, अपराधियों को सजा दिलाना और अपराधियों पर कार्रवाई करना यह हमारी सरकार ने आज किया है और हम दावे से कह सकते हैं कि आज पूरे बिहार में कोई संगठित गिरोह नहीं चला सकता है, कोई अपराधी अपराध की दो नाली बंदूक लेकर के गाड़ी में अपनी शान नहीं बिखेर सकता है यह हमारी सरकार ने आज किया है, हमारी सरकार ने किया है कि आज जो अपराधी लोग स्कॉर्पियो पर अपनी-अपनी दो नाली और राइफल की नाली निकालकर के अपनी शान बघारा करते थे आज वैसे अपराधी जेलों के अंदर नजरबंद हैं, जेलों में बंद किए गए हैं, यह हमारी सरकार ने इस बिहार को दिया है । आप कहते हैं, हम अभी गए थे अभी पुलिस विभाग के मुख्यालय में गए थे मुझे कभी अवसर नहीं मिला वहां जाने का, दो दिन पहले एक काम के सिलसिले में गया मैं तो देखकर भौचक रह गया, यह बिहार की धरती का पुलिस मुख्यालय है, यह देखकर के कि वहां की चमचमाती हुई व्यवस्था, वहां चमचमाती हुई बिल्डिंग और वहां के अफसरों के आदर्श को देखकर के मैं भौचक था यह बिहार हमने दिया है, इस प्रकार का अच्छा बिहार हम सब लोगों ने दिया है । चंपारण की धरती से आप आते हैं मनोज जी, आप चंपारण की धरती से आते हैं, वह गांधी की धरती रही है, वह अहिंसा की धरती रही है और वहां आपने देखा है कि किस प्रकार से अपराधियों पर सरकार ने नकेल कसा है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री संजय कुमार सिहं : यह आप सब लोग जानते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अवसर दिया ।

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

टर्न–21/सत्येन्द्र/25–03–22

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, आसन जब आप छोड़ते हैं और उपाध्यक्ष रहते उनको मौका नहीं मिल पाता है तो उपाध्यक्ष महोदय सोते रहते हैं ।

अध्यक्षः आपकी चिंता को हम ग्रहण किये हैं लेकिन उस समय उपाध्यक्ष नहीं थे और उपाध्यक्ष के रहते हुए जो लोग हमारे अध्यासी सदस्य हैं उनको भी बारी बारी से मौका मिले, ये आसन को भी जिम्मेवारी है ध्यान में रखने का ।

चलिये, सरकार का उत्तर । माननीय मंत्री गृह विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय,16 माननीय सदस्यों ने पक्ष विपक्ष के अपनी बात...

अध्यक्षः जिनको कम सुनाई पड़ता है, वे हेडफोन लगा लें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात को महोदय रखने का काम किया सबके अपने नजरिये हैं, सबकी अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता है, सबको अपना ज्ञान है, सबको अपना बुद्धि है, सबको अपना विवेक है उसके अनुरूप लोगों ने जानकारी के आधार पर अपनी अपनी बात को रखने का प्रयास किया है महोदय । कुछ पोलिटिकल बातें भी हुई उस पर मैं बाद में आऊंगा ।

महोदय, राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित करने तथा लोगों को भयमुक्त समाज एवं विकास प्रदान करने के लिए बिहार सरकार का गृह विभाग विनियामक विभाग है । राज्य में विधि व्यवस्था के प्रभावी एवं बेहतर संधारण हेतु सम्पूर्ण राज्य को 12 पुलिस क्षेत्रों में पुनर्गठित करते हुए 43 अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद सृजित किये गये हैं । राज्य मुख्यालय स्तर पर '' अनुसंधान प्रबोधन कोषांग'' के गठन हेतु कुल 69 पदों का सृजन किया गया है । बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन के 2428 पदों तथा भारत सरकार के इंडिया रिजर्व बटालियन के पैटर्न पर अतिरिक्त आई0आर0 बटालियन के पैटर्न पर अतिरिक्त आई0आर0 बटालियन के 1069 पदों का पुनर्नामांकन /कर्णांकन/अभ्यर्पण किया गया है । राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में महिला अपराध की रोकथाम हेतु महिला थाना कार्यरत है एवं राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कार्यरत है । बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित वाहिनी में 454 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है । महोदय, बिहार पुलिस में सिपाही के कुल 8415

रिक्त पद हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) बिहार पटना एवं आशुलिपिक सहायक अवर निरीक्षक के 126 रिक्त पद हेतु बिहार पुलिस अवसर सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, साईबर अपराधों के बढ़ते आयामों को देखते हुए सभी जिलों में कुल 74 साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया यूनिट की स्थापना एवं 740 पदों का सृजन किया गया है । नालंदा जिला के राजगीर थाना अन्तर्गत नेचर सफारी ओ0पी0 का सृजन एवं इसके संचालन हेतु 96 पदों का सृजन, गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अन्तर्गत ग्राम बहेरा में ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु 32 पदों का सृजन तथा रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पी0पी0 अभयपुर का सृजन किया गया है, गृह विभाग द्वारा सभी 220 भवनहीन थाना/ओ0पी0 में से अबतक 146 भवनहीन थाना/ओ0पी0 के भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, शेष 74 भवनहीन थाना/ओ0पी0 के भवन के निर्माण की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है । बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर के प्रांगण में 2000 महिला एवं 2000 पुरूष के प्रशिक्षण के लिए आवासन हेतु बैरक एवं क्लास रूम के भवन का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति महोदय दी जा चुकी है । महोदय, एस0सी0/एस0टी0 थाना, नक्सल थाना, मॉडल थाना, ग्रेड 4 थाना, ग्रेड 3 थाना, ग्रेड-2 थाना, पर्यटक थाना सहित कुल 31 थाना भवनों का निर्माण कराया गया है । महिला पुलिस कर्मियों के लिए 2630 यूनिट बैरक का निर्माण कार्य तथा 23 जिलों में महिला पुलिस थाना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । राज्य के 770 थानों में महिला शौचालय सह स्नानागार के निर्णय की स्वीकृति दी गयी है । कुछ माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें से 763 थानों में महिला शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 107 के आलोक में प्रत्येक थाने में बच्चों की देख-रेख तथा संरक्षण हेतु एक बाल मित्र डेस्क/बाल मित्र थाना खोलने की परिकल्पना के तहत प्रत्येक थाने में एक कमरा चिन्हित करते हुए वर्त्तमान में पूर्णियां एवं नालंदा जिला में बाल मित्र डेस्क/बाल मित्र थाना कार्यरत है । राज्य के ई0आर0एस0एस0 परियोजना के प्रारंभ होने से किसी भी आपात स्थिति में एक ही इमरजेंसी नम्बर 112 पर सम्पर्क करने पर सभी प्रकार की आपात सेवायें नागरिकों को उपलब्ध हो जायेंगी । राज्य के कुल 660 पुलिस थानों में निर्माण हेतु स्वीकृत आगंतुकों को, माननीय सदस्य कुछ जिक्र कर रहे थे कि थाने में जो लोग जाते हैं उनके बैठने की जगह नहीं रहती है, आगंतुक कक्षों में से अबतक 401 थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 195 थानों में निर्माण

कार्य प्रगति पर है , शेष आगंतुक कक्ष के निर्माण हेतु संबंधित घटक नव निर्मित थानों के परियोजना में सम्मिलित की गयी है । जिला एवं अनुमंडल स्तरीय व्यवहार न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु द्वितीय चरण के लिए कुल अनुमानित लागत राशि 65.4574 करोड़ मात्र की नई स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 2 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है । महोदय, वर्ष 2021 में कुल 176742 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है । 25 नियमित आग्नेयास्त्र, 3708 देशी आग्नेयास्त्र, 26 बम की बरामदगी की गयी तथा 31 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है । चोरी से संबंधित 19 मूर्त्तियां बरामद की गयी है । कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । अनुसूचित जन जाति अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2021 माह नवम्बर तक कुल 5162 कांडों का निष्पादन किया गया है । अवैध शराब कारोबार के विरूद्ध 1049 छापामारी की गयी, जिसमें 75 कांड दर्ज किया गया, 892 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुल 893250.10 लीटर शराब बरामद किया गया है ।

(व्यवधान)

इसमें क्या दिक्कत है, गणित को तो थोड़ा समझना पड़ता है इसमें हंसने की क्या बात है। आर0जे0डी0 के मेम्बर की तरह हम ज्ञानी तो हैं नहीं, आपलोग ज्यादा ज्ञानी हैं तो फटाफट सब कुछ बोलते जाते हैं, कागज को तो पढ़ना पड़ता है तो पढ़ने में वक्त लगेगी। अवैध शराब की होम डिलीवरी के विरूद्ध कुल 947 छापेमारी की गयी है जिसमें 390 कांड दर्ज किया गया, 395 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुल 111117.11 लीटर शराब बरामद किया गया है । अवैध उत्खनन में शामिल लोगों की पहचान कर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अबतक संदिग्ध भूमिका वाले 12 पुलिस/प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के कांड दर्ज कर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान प्रारंभ किया गया है । यह पुलिस अफसर के खिलाफ है महोदय, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस चोरी कर रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ।

(व्यवधान)

टर्न-22/मधुप/25.03.2022

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बोलेंगे बाद में । भागियेगा मत । कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस और इनके रिश्ते पर भी बोलेंगे लेकिन जरा ये आंकड़े दे दें ।

सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांत के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में (जिला-44 (रेल जिला सहित), अनुमण्डल-115, पुलिस थाना-1075 एवं 225 पुलिस चौकी स्तर पर पुलिस-जनता व्हाट्सएप ''साईबर सेनानी समूह'' की स्थापना की गयी है, जिसमें लगभग

03 लाख से अधिक लोग सहित बिहार सरकार के अन्य विभागों को भी इससे जोड़ा गया है ।

विधि का शासन स्थापित कर नागरिकों को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने हेतु कृत संकल्पित राज्य सरकार द्वारा अपराधिक मामलों की जॉच, अभियोजन एवं विचारण को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से ''बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018'' के तहत ''गवाह सुरक्षा निधि'' का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों में ''Vulnerable Witness Deposition Complexes'' के निर्माण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों को वैश्विक महामारी कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु नवनिर्मित मंडल काराओं को Quarantine कारा घोषित करते हुए जिन काराओं में क्षमता से अधिक बंदी संसीमित थे, उन बंदियों को अन्य काराओं में स्थानांतरित कर कोविड–19 संक्रमण से बचाव किया गया ।

Lockdown की अवधि में बंदियों की सुविधा के लिए राज्य की काराओं में e-Mulakat की व्यवस्था शुरू की गई तथा अब तक VC के माध्यम से 1,53,719 बंदियों द्वारा e-Mulakat सुविधा का लाभ उठाया जा चुका है । e-Mulakat सुविधा के उपयोग में देश भर में बिहार दूसरे स्थान पर है ।

माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में न्यायालय की स्थापना हेतु चिन्हित 08 अनुमंडलों में 1,000 बंदी क्षमता के नये कारा भवन के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई है ।

वर्ष 2007 में प्राथमिकता सूची में चयनित 8,064 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का लक्ष्य था । समीक्षोपरान्त 9,303 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में सभी 9,303 कब्रिस्तानों की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अब तक 7,059 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी जा चुकी है ।

अब तक 3308 सेनानियों को जे0पी0 सेनानी सम्मान योजना के तहत पेंशन की स्वीकृति दी गई है । इन सेनानियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बुडको की बसों में नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था सहित नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की गयी है ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित आदेशों/अनुशंसाओं के आलोक में कुल 30 वादों में पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को कुल 94 लाख 10 हजार रू0 मात्र के मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है ।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता के अनुरूप गृह विभाग द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को कार्यान्वित किया गया है ।

महोदय, कुछ चर्चाएँ और हुई थीं जहरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में । वर्ष 1998 से 2015 तक शराबबंदी के पूर्व राज्य में जहरीली शराब से कुल 108 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जब शराबबंदी नहीं थी । ये जिले हैं - कटिहार, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर और सारण । अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ भी जहरीली शराब कांडों से वर्ष 2008 से 2020 तक बड़े-बड़े जहरीली शराब कांड हुये, कुल 1078 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । ये राज्य हैं - कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और पंजाब जहाँ शराबबंदी नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान एवं असम राज्यों में भी इस तरह की घटना हुई है ।

(व्यवधान)

महोदय, जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है और बिहार में भी जब शराबबंदी नहीं थी, 2015 के पहले के आंकड़े भी मैंने दिये हैं, सुना कीजिये ।

महोदय, कटौती प्रस्ताव माननीय ललित जी ने पेश करने का काम किया । मुझे खुशी भी होती है इनको देखकर, मुझे दुख भी होता है । सात बार जीते हैं लेकिन दो नम्बर की या एक नम्बर की कुर्सी पर ये नहीं हैं, अंतिम पायदान पर हैं, अंतिम पायदान पर हैं । सात बार जीतने वाला, अब तो संभव नहीं कोई लगातार होगा । अवध विहारी चौधरी जी भी हैं, 1985 और 1990 में थे लेकिन बीच में हार गये थे, बीच में तो हमलोगों की पार्टी में आ गये थे, फिर चले गये । सुन लीजिये । रामानुज जी बोल रहे थे, अलग मुलाकात होती है तो कुछ और बोलते हैं, जब यहाँ बात होती है तो कुछ और बोलते हैं । महोदय, एक कहावत है - दूसरे पर अंगुली उठाने के पहले एक अंगुली खुदा, भगवान, जेसस क्राइस्ट या जिस धर्म के जो देवता हैं उनकी तरफ रहता है, तीन अंगुली अपनी तरफ रहता है । स्वाभाविक तौर से अपने जैसा सबको नजर आये, यह मनुष्य की प्रवृति है, यह कोई अनहोनी बात नहीं है ।

महोदय, क्राइम के विषय में चर्चा की गयी । अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या हुई, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई । कौन दुनिया में हत्या को रोक देता ? अध्यक्ष महोदय, 250 साल पहले अंग्रेजों ने, संभवतः इस डेट में थोड़ा-बहुत 10-20 वर्ष का अंतर होगा, सी0आर0पी0सी0 का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर पुलिस का नियंत्रण चलता है और आई0पी0सी0 का निर्माण हुआ जिसके आधार पर कोर्ट चलता है । In spite of that ब्रिटेन के जेल खाली नहीं हैं, अमेरिका के जेल खाली नहीं हैं, फ्रांस के

जेल खाली नहीं हैं, जो सम्पन्न देश हैं । ठीक ही कहा, जय प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मनुष्य की प्रवृति है । अब धर्म की बात करते हैं । राम की पत्नी का अपहरण किसने किया, जंगल राम को क्यों मिला, कृष्ण क्यों मथुरा से द्वारिका भागे थे, गॉधी को गोली किसने मारी, जेसस क्राइस्ट को किसने मारा.....

(व्यवधान)

मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूँ, वह भी हिन्दू था । मैं कह रहा हूँ, आप उसको अन्यथा मत लीजिये अपने दृष्टिकोण से । हिन्दू को हिन्दू ने गोली मारी । भगवान को उनके परिवार ने बाहर भेजा । जेसस क्राइस्ट को उनके राजा ने गोली मारने का काम किया । यह मैं कह रहा हूँ ।

(व्यवधान)

बैठिये-बैठिये ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इनके मोहम्मद साहब अपने चाचा के कारण कहॉ से भागकर कहॉ गये तब वे खुदा हुये । तो हर समय मनुष्य में यह प्रवृति रही है बुराई की । कानून बनने से ही सभी लोगों की प्रवृति बदल नहीं जाती है । कानून अच्छे लोगों के लिए बनती है, मेजोरिटी लोगों के लिए बनती है, 5-10 परसेंट लोगों के लिए नहीं ।

महात्मा गॉधी ने शराब के विषय में क्या कहा ? शराब के खिलाफ में ये लोग भी खड़े हुये थे गॉधी मैदान में जब शराबबंदी हुई थी । आज आलोचना कर रहे हैं। कह रहे थे रामानुज जी, 1990 में आप नहीं थे, 7-8 दिन तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ था जब तक कि सुशील मोदी जी ने गवर्नर को लिखकर नहीं दिया कि हम इनके साथ हैं, तब शपथ ग्रहण हुआ । उस समय कैसे आये थे ? गैर-कांग्रेसवाद पर । डॉक्टर लोहिया का नाम आपने लिया । डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गैर-कांग्रेसवाद के जनक थे । जे0पी0 ने आंदोलन शुरू किया तो सरकारें बदली और जब 1997 में पार्टी टूटी तब आप तो कांग्रेस के साथ सरकार बना लिये । यह कहॉ चले गये ? कहॉ चले गये ? कौन-सी प्रवृति ? कौन-सा सिद्धांत ? कौन-सा दर्शन ?

(व्यवधान)

बैठिये-बैठिये । आप बोल रहे थे तो मैं खड़ा नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूँगा । अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा कि ललित जी जब बोल रहे थे तो सम्पूर्ण सत्तापक्ष ने शालीनता, मर्यादा का अनुपालन किया ।

..क्रमशः..

टर्न–23/आजाद/25.03.2022

..... क्रमशः .....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : विपक्ष को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, आप विपक्ष हैं । इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन यहां लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का ही अंग है । डिसियेन्सी, डिसकसन, डिसिजन, ये लोकतंत्र के पाये हैं, यह चौराहा नहीं है । यह आन्दोलन का जगह नहीं है, हाथ हिलाते–हिलाते चले आते हैं । इसीलिए यहां बहस होनी चाहिए, यह बहस की जगह है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । प्रतिष्ठा मत बनाइए महबूब जी । यहां पर सुनने एवं सिखने का जगह है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी बातों का भी असर जिसपर नहीं पड़ता हो तो इस लोकतंत्र की रक्षा कहां से हो पायेगी ? जब वे लोग बोल रहे थे तो हमलोग सुन रहे थे, हमारे सभी साथी लोग सुन रहे थे, अब देख लीजिए ...

अध्यक्ष : एक आग्रह करेंगे, एक चीज बता दें । माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें बाजार में मिल जाती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है ।

(व्यवधान)

बैठिए । महबूब जी, आप बैठ जाइए न, आपको मौका मिला है, आपको तो ज्यादा समय भी दिये हैं । बैठ जाइए, यह उचित नहीं है । अब आप क्यों उठने लगे । शांति से आपलोग सुनिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, महबूब साहेब, जो आचरण करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, महबूब साहेब जो आचरण कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी की तरफ से भी यही आचरण होगा तो क्या होगा ? लेकिन रूलिंग पार्टी को, सरकारी पार्टी को सरकार चलानी है, अपनी मर्यादा का ज्ञान है, आपके सम्मान का ज्ञान है, कंस्टीच्यूशन का ज्ञान है लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं । लाख आपके कहने के बावजूद भी जब आप बोल रहे थे तो हमलोगों का कोई नहीं बोल रहा था, आपको सुनने का काम करना चाहिए । राजनीति में हमलोग अलग–अलग खेमे में जरूर बंटे हुए हैं, लेकिन वे सब जनता के बीच से जीत कर आये हैं । सबकी जवाबदेही उस 12 करोड़ जनता के लिए उतनी है, क्योंकि जब आप एम0एल0ए0 बन जाते हैं तो कंस्टीच्यूंसी अपनी जगह पर है, मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एसेम्बली, विधायक, विधान बनाने वाला, वह पूरे बिहार का हो जाता

है । 12 करोड़ लोगों में से 243 आदमी का होना कोई मामूली मर्यादा का विषय नहीं है। लोग देख रहा है । मैं स्वर्गीय वाजपेयी जी को याद करूंगा, अटल जी ने कहा था- अध्यक्ष महोदय, जब हम राजनीति में हैं तो हम कहां जाते हैं, किसके यहां ठहरते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, देश की जनता उसको देखते रहती है, उसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है, उसके आचरण पर असर पड़ता है, हमारे विषय में वह मूल्यांकन करती है । आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपके प्रति आभार प्रकट करूंगा कि आपने इस कार्यवाही को लोगों के बीच में देखने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, आम लोग इसको देख रहे हैं और बैठक के बाद लोग क्या-क्या कौमेंट करते हैं, आज यह भी सुनने की जरूरत है । इसीलिए हमें निश्चित रूप से आप अपनी बात जितनी तिखी हो, कहिए, जितना कड़ा हो, कहिए । हम स्वागत करते हैं, क्यों लोकतंत्र में विपक्ष को विरोधी को सरकार का अंग कहा गया क्योंकि हर बात एज ए मिनिस्टर हमें भी जानकारी नहीं है । लेकिन जब आप उठाते हैं, उसपर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी हमारी है लेकिन उठायेगा कौन, लेकिन ईमानदारी पूर्वक तथ्य तो उठाइए । बात तो सही उठाइए, फालतू बात नहीं उठाइए । इसका तो कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा फिर से कि मर्यादा किसी का कोई हनन नहीं कर सकता, कोई एक व्यक्ति किसी की मर्यादा का हनन नहीं कर सकता, मर्यादा का हनन हम सब लोग मिलकर अगर कर देंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का नाश हो जायेगा, लोकतंत्र विध्वंश हो जायेगा । जब हो जायेगा तो मैं स्वर्गीय जननायक कर्पूरी जी की एक बात इसी सदन में कहे हुए को याद करता हूँ - ''अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था, हमलोगों के बाप-दादा, परदादा, लकड़दादे, छकड़दादे एक लाल टोपी सिपाही को गांव का गांव देखकर भाग जाया करते थे, लेकिन यह सदन ही है, यह सबसे बड़ा मेरा मंदिर, सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़ा गुरूद्वारा, सबसे बड़ा यह गिरिजाघर है, जहां एक गरीब का बेटा उठकर अपनी बात को कहता है और डी0जी0पी0 सुनता रहता है ।'' यह है इसकी मर्यादा, यह है इसकी हैसियत, यह हैसियत 12 करोड़ जनता ने लोगों को दी है । वैसी बात नहीं है कि कोई लोग सामान्य ढंग से जीतकर आये हैं । लेकिन लॉ मेकर जब हम हैं तो कानून हम ही बनाते हैं । ठीक ही कहा जयप्रकाश जी ने, पुलिस कार्रवाई करती नहीं है, उसपर ऊँगली उठनी चाहिए लेकिन हमारे पैरवी पर कोई छूट जाय, यह भी नहीं होनी चाहिए, तब संतुलन होगा, नहीं तो क्राईम रोकना सबकी जिम्मेवारी है । कानून हम सब लोग मिलकर बनाते हैं, चाहे पक्ष में वोट दीजिए या विपक्ष में वोट दीजिए । लेकिन जब कानून बन जाता है, तब हम सब लोगों की जिम्मेवारी होती है, सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, आप एक-एक बिन्दु को उठावें, एक-एक बिन्दु पर कार्रवाई की अपेक्षा करें । प्रश्न एवं

ध्यानाकर्षण समिति है, जो भी प्रश्न नहीं आते, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि इसको प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपते हैं । जितनी भी कागज आते हैं, सबके लिए नियम बने हुए हैं । लेकिन अब बोला जाय सत्य, एक मिनट, आप बोल रहे थे तो हम नहीं उठे थे.. ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट ।

श्री ललित कुमार यादव : माननीय मंत्री जी, हम जो सवाल उठाये थे, उसका तो जवाब दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : हम उसको देखेंगे । आपको हम पहले भी कह चुके हैं, अब उस बात पर मत जाइए ।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं फिर एक बात अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सबों की जिम्मेवारी है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो, केवल सरकार की जिम्मेवारी होने से काम नहीं चलता, रामानुज जी ने कहा, अन्य लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी नहीं हैं । मंत्री तो आप बने नहीं, आपको बनाया नहीं । आप तो त्याग किये थे, इनको भी नहीं बनाया, सामूहिक जवाबदेही कंस्टीच्यूशन में है । गवर्नमेंट की ज्वायंट रिसपौंसबिलिटी होती है । सम्पूर्ण मंत्रिमंडल ...

(व्यवधान)

लिखकर स्पीकर साहेब को दिया हुआ है कि मेरे बदले में वे देखेंगे, यह अधिकार है । हम भी अगर नहीं रहेंगे तो हम संसदीय कार्य मंत्री को या किसी मंत्री जी को ऑथोराईज कर देते हैं, यह अधिकार है, आपको भी है । आप भी अगर नहीं हैं तो स्पीकर को लिखकर देते हैं कि हमारे बदले में अमुक बोलेंगे । चीफव्हीप हैं, आप भी कहते हैं कि मेरे दल की ओर से अमुक बोलेंगे, यह अधिकार है ।

(व्यवधान)

आप तो नये एम0एल0ए0 हैं, हम जब एम0एल0ए0 बने थे तो आप बच्चे होंगे।

इसीलिए महोदय, मैं अपील करूंगा विपक्ष के चीफव्हीप से कि वे अपना संशोधन, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और हमारे द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर मतदान में भाग लेकर के एक नया इतिहास रचें ताकि बिहार की जनता इसे देखे कि बिहार में पहली बार बिहार विधान सभा में लॉ एंड ऑर्डर पर, गृह विभाग पर सब लोगों ने अपनी सहमति दी है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा, जितना हमलोगों ने सवाल रखा, माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया और जो राशि इनको दिया जायेगा, सदन से यह आग्रह किये हैं, इनको क्यों दिया जाय महोदय, लूट कराने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 143,72,75,79,000/- (एक सौ तैंतालीस अरब बहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख उनासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, वे ना कहें,

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ना के पक्ष में बहुमत है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं,
उड़ जायेंगे एक दिन, तस्वीर में रंगों की तरह,
हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिन्दों की तरह,
खटखटाते रहिए एक दरवाजे के मन का, मुलाकातों का न सही,
आहटे आती रहनी चाहिए, न राज है जिन्दगी,
बस जो है, वह आज है जिन्दगी ।

इसलिए अच्छे कार्य को और अनुभव की किताब को ध्यान से पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ना के पक्ष में बहुमत है, इसको फिर से लिया जाय।

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए । मैं इसको फिर से लेता हूँ ।

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, वे ना कहें,

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ना के पक्ष में बहुमत हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : फिर एक बार पूछता हूँ । देखिए । बैठ जाइए, बैठ जाईए ।

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, वे ना कहें,

मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ना के पक्ष में बहुमत है ।

अध्यक्ष : ठीक है, घंटी बजा दीजिए ।

(घंटी)

टर्न-24/शंभु/25.03.22

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हमलोग तो चाहते थे कि इज्जत से निकल जाएं, लेकिन कभी-कभी आदमी जिद में अपनी ही बेइज्जती करा लेता है ।

अध्यक्ष : अब शांति बनाये रखिये । आपस में वार्त्ता न करें, गंभीरता से शांति बनाये रखें ।

खड़े होकर मतदान का जो फलाफल आया है वह निम्न प्रकार है :-

हां के पक्ष में 113

ना के पक्ष में 60

अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मांग स्वीकृत हुई ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर, 60 या 7 ?

अध्यक्ष : 60 । बैठ जाइये । देखिए, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद को यूं मिटाता है, जैसे चुभने की फिक्र में कांटा साख से खुद ही टूट जाता है ।

माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 26 मार्च, 2022 को सदन में अंतराल के बाद विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन होगा । दिनांक 11 मार्च, 2022 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि आगामी 26 मार्च, 2022 को विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन के उपरांत संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधी विषय पर नियम-43 के तहत विमर्श होगा । इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति भी हुई

थी, चूंकि इस सत्र में अब तक 11 मांगों पर लगातार सदन में वाद-विवाद हो रहा है, बजट पर काफी चर्चा हुई है, अगर सदन सहमत होगा तो विनियोग विधेयक पर 2 से 3 बजे तक विमर्श हो, सदन की अवधि एक घंटा बढ़ा दी जाय और 3 से 5 तक लोकहित के विषय पर संवैधानिक अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने संबंधी विषय पर विमर्श होगा और जो संविधान की कॉपी लोक सभा से मंगाये हैं वह कल आप सबको हमलोग सप्रेम भेंट देंगे । माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से लिये जायेंगे ।

क्रमशः

टर्न-25/पुलकित/25.03.2022

अध्यक्ष (क्रमशः) : प्रश्न यह है कि

''31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए :-

मांग संख्या- 02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 15,89,68,82,000/- (पन्द्रह अरब नवासी करोड़ अड़सठ लाख बयासी हजार) रुपये,

मांग संख्या- 04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 5,14,66,44,000/- (पाँच अरब चौदह करोड़ छियासठ लाख चौवालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 3,11,06,26,000/- (तीन अरब ग्यारह करोड़ छः लाख छब्बीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 07 निगरानी विभाग के संबंध में 45,54,95,000/- (पैंतालिस करोड़ चौवन लाख पंचानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,76,52,64,000/- (एक अरब छिहत्तर करोड़ बावन लाख चौंसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या- 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 12,86,31,26,000/- (बारह अरब छियासी करोड़ इकत्तीस लाख छब्बीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 18,73,86,05,000/- (अठारह अरब तिहत्तर करोड़ छियासी लाख पाँच हजार) रुपये,

मांग संख्या- 12 वित्त विभाग के संबंध में 11,10,21,23,000/- (ग्यारह अरब दस करोड़ इक्कीस लाख तेईस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 15 पेंशन के संबंध में 242,33,85,14,000/- (दो सौ बयालीस अरब तैंतीस करोड़ पचासी लाख चौदह हजार) रुपये,

मांग संख्या- 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 98,01,41,19,000/- (अठ्ठानवे अरब एक करोड़ इकतालीस लाख उन्नीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 1,75,97,04,000/- (एक अरब पचहत्तर करोड़ सत्तानवे लाख चार हजार) रुपये,

मांग संख्या- 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 11,84,95,28,000/- (ग्यारह अरब चौरासी करोड़ पंचानवे लाख अठ्ठाईस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 6,62,84,76,000/- (छः अरब बासठ करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या- 24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 2,37,81,29,000/- (दो अरब सैंतीस करोड़ इक्यासी लाख उनतीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,31,82,60,000/- (दो अरब इकत्तीस करोड़ बयासी लाख साठ हजार) रुपये,

मांग संख्या- 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 9,47,29,94,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ उनतीस लाख चौरानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 27 विधि विभाग के संबंध में 10,60,29,98,000/- (दस अरब साठ करोड़ उनतीस लाख अठ्ठानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 49,18,54,000/- (उनचास करोड़ अठ्ठारह लाख चौवन हजार) रुपये,

मांग संख्या- 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 5,70,48,56,000/- (पाँच अरब सत्तर करोड़ अड़तालीस लाख छप्पन हजार) रुपये,

मांग संख्या- 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 9,27,82,000/- (नौ करोड़ सत्ताईस लाख बयासी हजार) रुपये,

मांग संख्या- 32 विधान मंडल के संबंध में 2,53,24,13,000/- (दो अरब तिरेपन करोड़ चौबीस लाख तेरह हजार) रुपये,

मांग संख्या- 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 7,77,95,88,000/- (सात अरब सतहत्तर करोड़ पंचानवे लाख अठ्ठासी हजार) रुपये,

मांग संख्या- 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 21,87,81,70,000/- (इक्कीस अरब सत्तासी करोड़ इक्यासी लाख सत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या- 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 23,80,38,29,000/- (तेईस अरब अस्सी करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 106,11,96,10,000/- (एक सौ छः अरब ग्यारह करोड़ छियानवे लाख दस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 2,64,60,10,000/- (दो अरब चौसठ करोड़ साठ लाख दस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 72,12,73,93,000/- (बहत्तर अरब बारह करोड़ तिहत्तर लाख तिरानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 5,93,64,90,000/- (पाँच अरब तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख नब्बे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 17,29,59,89,000/- (सत्रह अरब उनतीस करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार) रुपये,

मांग संख्या- 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,20,04,11,000/- (एक अरब बीस करोड़ चार लाख ग्यारह हजार) रुपये,

मांग संख्या- 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 3,26,39,46,000/- (तीन अरब छब्बीस करोड़ उनतालीस लाख छियालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 47 परिवहन विभाग के संबंध में 3,94,17,97,000/- (तीन अरब चौरानवे करोड़ सत्रह लाख सत्तानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 81,75,94,09,000/- (इक्यासी अरब पचहत्तर करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार) रुपये,

मांग संख्या- 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 10,23,54,70,000/- (दस अरब तेईस करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या- 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 82,01,12,93,000/- (बयासी अरब एक करोड़ बारह लाख तिरानवे हजार) रुपये, से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगे स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 60 है, अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।